घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 286- मंगलवार 18- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

नितिन नवीन की नई कार्यकारिणी टीम घोषित...स्मृति ईरानी,वसुंधरा राजे और राम माधव को बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली,17 अगस्त 2026। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पद संभालने के 209 दिन बाद सोमवार को 65 सदस्यों की कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया। राम माधव को उपाध्यक्ष और स्मृति ईरानी को महासचिव बनाकर वापस लाया गया है। भाजपा आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय की जगह दीपक म्हस्के को लाया गया है। वहीं,राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष बनी रहेंगी। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी पद पर बने रहेंगे। 55 साल की औसत उम्र वाली नितिन नवीन की टीम में 12 महिलाएं हैं।

यूपी से दो मुस्लिम चेहरों तारिक मंसूर और बासित अली को शामिल किया गया है। नई टीम में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया समेत 13 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है।

वहीं स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा की ओर से जारी सूची के अनुसार, वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत,राम माधव,बैजयंत जय पांडा, डी.पुरंदेश्वरी,रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, डॉ. भारती प्रवीण पवार,सरदार मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, प्रो. एम. नागराजा,प्रो. तारिक मंसूर और डॉ. मधुचंद्र कर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस सूची में अलग-अलग राज्यों के नेताओं को जगह दी गई है,जिससे संगठन में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा गया है।

स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े को मिली बड़ी जिम्मेदारी

नई टीम में स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। दोनों नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी की जारी सूची में बीएल संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) के पद पर बरकरार रखा गया है। वहीं शिवप्रकाश और सौदान सिंह को राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री (संगठन) की जिम्मेदारी दी गई है।

भाजपा की नई टीम में महिला नेताओं को भी खास जगह मिली

नई राष्ट्रीय टीम में महिला नेताओं की भी अच्छी भागीदारी दिखाई देती है। वसुंधरा राजे सिंधिया, डी. पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, डॉ. भारती प्रवीण पवार और डॉ. मधुचंद्र कर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। इस तरह पार्टी की नई संगठनात्मक टीम में कई महिला नेताओं को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जिम्मेदारियां मिली हैं।

नितिन नवीन की टीम में कई राज्यों को मिला प्रतिनिधित्व

भाजपा की नई सूची में राजस्थान,उत्तराखंड,दिल्ली,ओडिशा,आंध्र प्रदेश,उत्तर प्रदेश,गुजरात,महाराष्ट्र,पंजाब,मध्य प्रदेश,कर्नाटक और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के नेताओं को शामिल किया गया है। पार्टी के केंद्रीय संगठन में अलग-अलग राज्यों के नेताओं को जिम्मेदारी दिए जाने से राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के विस्तार और समन्वय को मजबूत करने का संकेत मिलता है।

महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ से तीसरी बार,रूपकुमारी चौधरी से पहले ये दो नेत्री संभाल चुकीं हैं महिला मोर्चा की कमान

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया। नई कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ से सांसद रूपकुमारी चौधरी को भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। महासमुंद की सांसद रूपकुमारी चौधरी के राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष बनने के साथ ही यह तीसरा अवसर है,जब छत्तीसगढ़ से किसी महिला नेता को यह जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले दिवंगत पूर्व सांसद करुणा शुक्ला और सरोज पांडेय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं। रूपकुमारी चौधरी बसना से विधायक रह चुकी हैं और रमन सिंह सरकार में संसदीय सचिव का दायित्व भी संभाल चुकी हैं।

छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के बने बीजेपी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक

भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के दीपक महस्के को भाजपा का राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। वहीं महासमुंद की सांसद रूप कुमारी चौधरी को भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ के दो नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से प्रदेश भाजपा संगठन का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। दीपक महस्के की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब राजनीतिक दलों के चुनावी और संगठनात्मक अभियानों में सोशल मीडिया तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक के रूप में महस्के पर पार्टी की डिजिटल रणनीति, सोशल मीडिया अभियानों और संगठन के ऑनलाइन नेटवर्क को मजबूत करने से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रहेंगी।

झारखंड सरकार ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द की....

सीएम सोरेन बोले...2014 से अब तक सभी परीक्षाओं की सीडीआई जांच होगी

रांची,17 अगस्त 2026। जेपीएससी के बाद अब जेएसएससी-सीजीएल के एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार रात मीडिया को इसकी जानकारी दी। सीएम ने मंत्रियों के साथ 4 घंटे तक चली बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। सीएम सोरेन ने कहा...एसआईटी और सीडीआई दोनों की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। चूंकि जांच चल रही है,इसलिए हर बात खुले तौर पर बताना संभव नहीं है। इसमें कई कंपनियों का एक जटिल और आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क शामिल है, जिन्होंने अलग-अलग समय पर यहां काम किया है। 2014 से लेकर अब तक आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच सीडीआई से कराई जाएगी। सीएम ने कहा- युवाओं की सबसे बड़ी और अहम मांग जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ी है। हम एक रिटायर्ड जज की देखरेख में इसकी पूरी जांच कराएंगे।

महतो बोले...सरगना पकड़े जाएं...

सीएम की घोषणा के बाद आंदोलन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा...सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच बहुत बारीकी से हो और इसमें शामिल हर भ्रष्ट व्यक्ति को पकड़ा जाए। इन गिरोहों के पीछे जो मास्टरमाइंड हैं,उनको पकड़ा जाए। वहीं एक अन्य छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा...'अभी सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी गई है। इसलिए हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग एक बड़ी लड़ाई जीते हैं,मगर इसमें अभी और भी कुछ बाकी है।

बाबूलाल मरांडी बोले...सरकार की मंशा अभी भी ठीक नहीं

हेमंत सरकार के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर लिखा,'रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विगत 23 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों को बधाई एवं शुभकामनाएं। जेएसएससी-सीजीएल का रद्द होना छात्रों की बड़ी विजय है। हालांकि सरकार द्वारा सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जाना साफ दर्शाता है कि सरकार की मंशा अभी भी ठीक नहीं है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी,इस पूरे सिस्टम में जमा'कोढ़' साफ नहीं होगा। अगर दोषियों पर निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई,तो व्यवस्था में बैठे लोग फिर युवाओं की नौकरियां बेचने का दुस्साहस करेंगे। परीक्षा रद्द होना पहला चरण है,सीबीआई जांच और दोषियों पर निर्णायक कार्रवाई ही छात्रों के संघर्ष की वास्तविक जीत होगी।' झारखंड में छात्र जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर 24 दिन से अनशन कर रहे हैं। आज छात्रों के साथ सरकार की बातचीत होनी थी। लेकिन कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक करने की वजह से छात्रों से वार्ता अभी तक नहीं हो पाई है। UGC-NET की इंग्लिश,कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रविवार को माना कि इन विषयों के प्रश्न पत्र में स्पेलिंग और प्रिंटिंग की गलतियां थीं। एनटीए ने कहा... पेपर्स में पहले पूछे जा चुके सवाल दोहराए गए थे। आंसर-की जारी करने के बाद छात्रों ने गड़बड़ियों का जिक्र किया था। इन्हें केवल सवाल हटाकर ठीक नहीं किया जा सकता था।

यूजीसी-नेट रद्द होने पर राहुल गांधी ने एनटीए की जवाबदेही पर उठाए सवाल,प्रश्नपत्र लीक की आशंका पर मांगा जवाब

नई दिल्ली,17 अगस्त 2026। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यूजीसी-नेट की समाज शास्त्र,अंग्रेजी और वाणिज्य विषयों की रद्द परीक्षाओं को लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की जवाबदेही तय करने की मांग की है। उन्होंने प्रश्नपत्र लीक होने की आशंका पर भी एनटीए से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एनटीए की गलती का खामियाजा हजारों अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें वर्षों की तैयारी के बाद सितंबर में दोबारा परीक्षा देनी होगी। राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में कहा कि समाजशास्त्र,अंग्रेजी और वाणिज्य की यूजीसी-नेट परीक्षाएं 22 से 30 जून के बीच आयोजित हुई थीं। करीब दो महीने बाद एनटीए ने इन तीनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्रों में गलतियां थीं और पुराने प्रश्न दोहराए गए थे। राहुल गांधी ने कहा कि हजारों अभ्यर्थियों ने वर्षों तक परीक्षा की तैयारी की,आवेदन शुल्क जमा किया,दूर-दराज के परीक्षा केंद्रों तक यात्रा की और परीक्षा में शामिल हुए। अब उन्हें सितंबर में फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि गलती एनटीए करता है, लेकिन सजा छात्रों को भुगतनी पड़ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था शिक्षा प्रणाली के बजाय ऐसी व्यवस्था बन गई है,जो छात्रों से उनका पैसा,वर्षों की मेहनत, मानसिक स्वास्थ्य और आत्म विश्वास लेती है,लेकिन बदले में रोजगार तक नहीं देती। राहुल गांधी ने एनटीए से सवाल किया कि क्या परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक हुए थे। उन्होंने कहा कि एनटीए इस सवाल का अब तक स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की अन्य संस्थाओं की तरह एनटीए भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता और परीक्षा में गड़बड़ी होने पर जवाबदेही तय नहीं की जाती। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्होंने कोटा, देहरादून और प्रयागराज में भी छात्रों की समस्याओं तथा परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए हैं और आगे भी इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। राहुल गांधी ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को जवाबदेही की दिशा में पहला कदम बताया।

बिहार के लखीसराय में भगदड़...7 महिलाओं की मौत

मंदिर में जलाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालु जुटे,करंट फैलने की अफवाह उड़ी

लखीसराय,17 अगस्त 2026। बिहार के लखीसराय में सोमवार को भगदड़ मच गई। हादसे में 7 महिलाओं की मौत हो गई। 23 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। घटना अशोकधाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर हुई। लखीसराय डीएम शैलेंद्र कुमार ने बताया कि पुरुषों की लाइन की तरफ एक खंभा गिर गया। इसके बाद अफवाह फैली कि लोगों पर बिजली की चालू लाइन का तार गिर गया, जबकि वह सिर्फ एक केबल वायर (डिश/इंटरनेट का तार) था। पुरुषों की तरफ से भीड़ का दबाव महिलाओं की लाइन पर पड़ा, जिससे वे एक-दूसरे पर गिर गईं। चार मृतकों की पहचान हुई है। इनमें लखीसराय की मधुबाला देवी,मनमाला देवी,हेमलता देवी और मुंगेर की रिंकू देवी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू,पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है।

श्रद्धालु बोले...करंट की बात सुनकर लोग भागने लगे

दर्शन के लिए लाइन में लगे श्रद्धालु ने कहा...'बहुत भीड़ थी। तभी पोल गिरने और करंट लगने की बात फैली। इसके बाद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, तभी बैरिकेडिंग टूटी और लोग एक-दूसरे पर गिर गए।' लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में मची भगदड़ पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हादसे से दुखी हूं। अफवाह की वजह से हादसा हुआ है।

बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा बोले...मामले की जांच होगी

लखीसराय हादसे के बाद मंत्री विजय सिन्हा मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि करंट की अफवाह फैलने के बाद भगदड़ मची। इस मामले की जांच कराई जाएगी।

हादसे के बाद अब प्रशोक धाम मंदिर में भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं...

सावन के तीसरे सोमवार को लखीसराय के अशोक धाम मंदिर परिसर में सुबह करीब 6.30 बजे मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई। अब हालात सामान्य हो गए हैं। भक्त लाइन में लगकर जलाभिषेक कर रहे हैं।

परिवार का एक सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में है तो दूसरे को नहीं मिलेगा लाभ अनुकंपा नियुक्ति पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

बिलासपुर,17 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई अन्य सदस्य पहले से सरकारी सेवा में है, तो दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल सकता। यह फैसला जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकल पीठ ने जशपुर निवासी आदित्य चौहान की याचिका पर सुनाया। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में लागू सरकारी नीति को स्पष्ट रूप से प्रभावी माना। कोर्ट ने कहा कि स्पष्ट सरकारी नीति के विपरीत केवल आर्थिक निर्भरता या पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर नियमों में छूट नहीं दी जा सकती।

कोविड काल में हुआ था पिता का निधन

मामले के अनुसार आदित्य चौहान के पिता लक्ष्मण दास चौहान पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर कार्यरत थे। कोविड काल के दौरान 23 सितंबर 2020 को उनका निधन हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद आदित्य ने परिवार की ओर से अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। सक्षम प्राधिकारी ने 31 अक्टूबर 2025 को उनका आवेदन खारिज कर दिया। आवेदन निरस्त करने का आधार यह था कि मृत कर्मचारी की दूसरी पत्नी उमा तिवारी पहले से ही सिंचाई विभाग में सहायक के पद पर सरकारी सेवा में कार्यरत हैं।

अलग रहने और आर्थिक मदद नहीं देने की दलील

याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट में दलील दी गई कि उमा तिवारी अलग रहती हैं और परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराती हैं। इसलिए उनकी सरकारी नौकरी को आदित्य की अनुकंपा नियुक्ति के रास्ते में बाधा नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता निर्धारित करने वाली सरकारी नीति में इस स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

बंगाल में बीरभूम के होटल में आग...8 की मौत,9 झुलसे

शॉर्ट सर्किट से हादसा,सावन सोमवार पर तारापीठ मंदिर आए थे...

बीरभूम,17 अगस्त 2026। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ मंदिर के पास एक होटल में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक,आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने की आशंका है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। बीरभूम के SP विदित राज भुंडेश के मुताबिक,होटल के बाहर से धुआं या आग की लपटें दिखाई नहीं दे रही थीं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने सीढ़ियों की मदद से 22 लोगों को बाहर निकाला, जबकि 11 लोगों को अस्पताल भेजा गया। होटल संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच के लिए FSL टीम भी मौके पर पहुंचेगी।

एक महिला और 2 बच्चे लापता : एक अन्य महिला ने बताया कि वो साउथ 24 परगना से रविवार दोपहर पूजा करने आई थी। उनके साथ उनकी मां और बच्चे थे। उनकी मां रूम नंबर एक में थी। अब उनकी मां और दो बच्चे नहीं मिल रहे हैं। हादसे में बची कोलकाता की महिला ने बताया- अचानक पूरी होटल में धुआं भर गया। हम सांस नहीं ले पा रहे थे और बचने का रास्ता ढूंढना मुश्किल था।

एसी की वायरिंग में खराबी से आग का खतरा : एसी में शॉर्ट सर्किट होने पर करंट अचानक बढ़ सकता है। इससे एसी की वायरिंग का इंसुलेशन गर्म होकर जल सकता है और तार आपस में संपर्क में आ सकते हैं। इस दौरान चिंगारी निकलने से आग लगने का खतरा रहता है।

तारापीठ मंदिर में देवी तारा की पूजा होती है : तारापीठ मंदिर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित मां तारा का प्रसिद्ध मंदिर है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। प्रतिमा में मां तारा की गोद में भगवान शिव को दिखाया गया है। दिन में सोने का मुखौटा लगाया जाता है, जिसे रात में हटा दिया जाता है। मंदिर के पास तारापीठ महाश्मशान है, जहां तांत्रिक साधना की परंपरा रही है। तारापीठ का संबंध प्रसिद्ध तांत्रिक साधक और मां तारा के भक्त बामाखेपा से भी है। उनकी समाधि और स्मृति मंदिर भी यहां स्थित है।

प्रधानमंत्री ने बीरभूम अग्निकांड में जनहानि पर जताया दुख : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में आग लगने की घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जारी संदेश में कहा कि बीरभूम में आग की घटना में हुई जनहानि से वह बेहद दुखी हैं। स्थानीय प्रशासन हादसे से प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रहा है।

प्रशांत किशोर ने विधानसभा में ली गोपनीयता की शपथ,बोले...शिक्षा,सड़क और रोजगार पर करेंगे काम

पटना,17 अगस्त 2026। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सोमवार को बिहार विधानसभा पहुंचकर विधायक पद और गोपनीयता की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह समेत पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। उपचुनाव में जीत के बाद 3 अगस्त को ही प्रशांत किशोर को जीत का प्रमाण पत्र मिल गया था। शपथ लेने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा, 'एक नया बांकीपुर बनाना है, जहां पर लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़कें और रोजगार मिल सके।' उन्होंने कहा कि जिस सदन के सदस्य श्री बाबू, अनुग्रह नारायण, कर्पूरी,

नीतीश, लालू, रामविलास और सुशील मोदी रहे हैं, उसका सदस्य बनकर शपथ लेना उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने इसे बड़ी जिम्मेदारी बताया। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 वोटों से हराया था।

उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर के बाहर मची अफरा-तफरी,13 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी

उज्जैन,17 अगस्त 2026। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के दुर्लभ संयोग के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। दर्शन की होड़ में हरसिद्धि मंदिर के पास बैरिकेडिंग क्षेत्र में भीड़ का दबाव बढ़ने से अफरा-तफरी मच गई। जिसमें 13 श्रद्धालुओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल, सावन सोमवार और नागपंचमी का एक ही दिन योग होने से उज्जैन के महाकाल और नागचंद्रेश्वर मंदिर परिसर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। इसी दौरान हरसिद्धि मंदिर के सामने बनाए गए बैरिकेडिंग जोन में अत्यधिक भीड़ के कारण धक्का-मुक्की और दम घुटने जैसी स्थिति निर्मित हो गई। भीड़ के दबाव में सागर (15) पुत्र मांशीष, निवासी किसनपुरा, सजीव नोनू चौधरी (36) निवासी दरभंगा, बिहार, खुशी (20) पुत्री माधव राव, निवासी बड़ा गणेश, ग्वालियर, हरीशचंद (26) पुत्र अशोक, निवासी वासना, गुजरात, तुलसी (15) पुत्री जय प्रकाश, निवासी गुजरात, जय (12) पुत्र जय धवन, निवासी गुजरात सहित कुल 13 श्रद्धालुओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई।

संपादकीय

जेन-जी के सपनों को मिले पंख

पिछले लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवा पीढ़ी यानी जेन-जी और जेन-अल्फा से सीधा संवाद किया। सरकार की नीतिगत दिशा स्पष्ट है-देश को डिजिटल,तकनीकी और मैन्यूफैक्चरिंग महाशक्ति बनाना। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मुफ्त ट्रेनिंग,डाटा सेंटर,क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और सेमीकंडक्टर चिप प्लांट्स जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में भारी निवेश किया जा रहा है।

सरकार का यह दीर्घकालिक सोच 'विकसित भारत 2047' के सपनों को पंख लगाने वाला है, लेकिन इस चमकदार तकनीकी भविष्य के सिक्के का एक दूसरा और बेहद स्याह पहलू भी है,जो आज देश की सड़कों पर युवाओं के आक्रोश के रूप में बार-बार दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर और एआइ हब बनाने के प्रयास ऐतिहासिक हैं। सरकार चिप प्लांट्स और एआइ इकोसिस्टम के लिए लाखों करोड़ रुपये खर्च कर रही है।

नीति-निर्माताओं का मानना है कि इन आधुनिक उद्योगों से देश में लाखों 'हाई-एंड' नौकरियां पैदा होंगी,लेकिन इस तथ्यात्मक सच से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता कि ये उद्योग अत्यधिक पूंजी-गहन हैं,न कि श्रम-गहन। एक सेमीकंडक्टर प्लांट में अरबों रुपये का निवेश होता है,लेकिन वहां प्रत्यक्ष रोजगार कुछ हजार सुपर-स्पेशलाइज्ड इंजीनियरों को ही मिलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि देश में सामान्य स्नातक पास फौज का क्या होगा? जो हर साल डिग्री लेकर रोजगार के बाजार की कतार में खड़ी हो रही है।

आंकड़ों के आईने में शिक्षित बेरोजगारी का सच : आर्थिक मोर्चे पर युवाओं की स्थिति को समझने के लिए सरकारी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़े आंखें खोलने वाले हैं। इंडिया स्किल्स की एक रिपोर्ट बताती है कि कालेजों से निकलने वाले 50 प्रतिशत से अधिक युवा आज भी उद्योगों की तात्कालिक जरूरतों के हिसाब से रोजगार योग्य नहीं हैं। यानी कहीं न कहीं हमारे शैक्षणिक संस्थानों और वहां की शिक्षा प्रणाली में विसंगतियां हैं।

जेन-जी और जेन-अल्फा युवाओं में बढ़ रहे असंतोष और उनके सड़कों पर उतरने की सबसे बड़ी और तात्कालिक वजह घरों में अभिभावकों के सपनों से जन्म लेने वाली लालसा और इंटरनेट मीडिया की होड़ तो है ही,इसके लिए कहीं न कहीं देश की चरमराई परीक्षा प्रणाली भी बराबर की दोषी है। पेपर लीक जैसी विसंगतियां इन युवाओं की बेचैनी स्वाभाविक रूप से बढ़ाती हैं। एक विश्लेषण के मुताबिक,पिछले पांच वर्षों में देश के 15 से अधिक राज्यों में 40 से ज्यादा बड़ी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए हैं।

नीट-यूजी,यूजीसी-नेट और विभिन्न राज्यों की सिपाही एवं प्रशासनिक भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधलियों ने देश के लगभग 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को कहीं न कहीं मानसिक तनाव तो दिया ही है, शैक्षणिक प्रणाली के प्रति उनके विश्वास को भी क्षति पहुंचाई है। यदि यह व्यवस्था ठीक होती, तो इस बड़े तबके के बीच असंतोष की चिंगारी इतनी गहरी नहीं होती और इसका लाभ उठाने वाले राजनीतिक दलों को बैठे-बिठाए अवसर नहीं मिलता। पेपर लीक होना, फिर परीक्षा का रद होना, अदालती मुकदमेबाजी और दोबारा जांच के इस चक्रव्यूह में युवाओं की उत्पादक उम्र के स्वर्णिम वर्ष व्यर्थ हो रहे हैं। सरकार ने संसद में 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पारित कर पेपर लीक के खिलाफ पांच करोड़ रुपये तक के जुर्माने और 10 वर्ष तक की जेल का प्रविधान किया है।

अल्पसंख्यकों की असुरक्षा से आतंकवाद तक पाक का यथार्थ

ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिया गया हालिया बयान केवल एक जहरीली एवं कड़वी राजनीतिक टिप्पणी ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की उस मानसिकता का आईना है,जिसमें भारत के प्रति कटुता,अविश्वास,नफरत और वैचारिक विरोध आज भी गहरे पैठे हुए हैं। जरदारी ने'अखंड भारत'की अवधारणा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारतीय इसमें विश्वास करते हैं, लेकिन वे मुसलमान होने के नाते इससे सहमत नहीं हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में हिंदुओं के सुरक्षित और सुखी होने का दावा भी किया। सवाल यह है कि दुनिया किसी राष्ट्राध्यक्ष के दावे पर विश्वास करे या आंकड़ों और जमीन पर दिखाई देने वाली वास्तविकता पर? इतिहास का न्याय भावनाओं से नहीं, तथ्यों से होता है। और पाकिस्तान के संदर्भ में जन सांख्यिकी,अल्पसंख्यकों की स्थिति,धार्मिक स्वतंत्रता और आतंकवाद-ये चारों क्षेत्र ऐसे आईने हैं जिनमें उसकी अपनी तस्वीर साफ दिखाई देती है।

1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया एवं 1951 की जनगणना में पूरे तत्कालीन पाकिस्तान में हिंदुओं की हिस्सेदारी लगभग 14.6 प्रतिशत थी, पाकिस्तान की 2023 की आधिकारिक जनगणना में 'हिंदू जाति' की आबादी 3,867,729 और'अनुसूचित जाति' की आबादी 1,349,487 दर्ज की गई है। कुल आबादी 240.46 मिलियन है। इन दोनों श्रेणियों को जोड़ें तो हिस्सा लगभग 2.17 प्रतिशत बैठता है। अर्थात आज के पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की जनसंख्या हिस्सेदारी अत्यंत सीमित रह गई है। इसके विपरीत भारत की स्थिति को भी तथ्यों के साथ ही देखना चाहिए। भारत की अंतिम प्रकाशित पूर्ण जनगणना 2011 की है। उसमें मुस्लिम आबादी 14.23 प्रतिशत, यानी 17.22 करोड़ दर्ज हुई थी। यही वह बिंदु है जहां भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक अंतर सामने आता है। भारत ने धर्म के आधार पर नागरिकता की अवधारणा को राज्य की नागरिकता का आधार नहीं बनाया। संविधान ने हर नागरिक को समान नागरिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और अपनी आस्था के पालन की स्वतंत्रता दी। भारत में मुसलमानों ने राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री,राज्यपाल,मुख्यमंत्री, न्याय पालिका, सेना,शिक्षा, उद्योग,कला,खेल और प्रशासन सहित जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति है। इसके विपरीत पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की रिपोर्टें गंभीर प्रश्न उठाती हैं। ह्यूमन राइटस वाच की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में ईशनिंदा कानूनों के दुरुपयोग ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिंसा, मनमानी गिरफ्तारी और सामाजिक दबाव के प्रति अत्यंत संवेदनशील बना दिया है। रिपोर्ट में हिंदुओं, ईसाइयों और अहमदियों सहित अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और जबरन विवाह-धर्मांतरण जैसी समस्याओं का उल्लेख है। 2023 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जरनवाला में ईशनिंदा के आरोपों के बाद चर्चों और ईसाई घरों पर भीड़ के हमले हुए। ह्यूमन राइटस वाच ने पाकिस्तान में ईशनिंदा कानूनों के इस्तेमाल से अल्पसंख्यकों की संपत्ति पर कब्जे और उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के मामलों का भी दस्तावेजीकरण किया है। ऐसे में जरदारी का यह कहना कि पाकिस्तान के हिंदू बहुत खुश हैं, एक झूठा, गुमराह करने वाला एवं भ्रामक राजनीतिक दावा तो हो सकता है, लेकिन उसे व्यापक तथ्यात्मक प्रमाण की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। किसी देश में अल्प संख्यक सुरक्षित हैं या नहीं, इसका प्रमाण केवल राष्ट्राध्यक्ष का बयान नहीं,बल्कि उनके नागरिक अधिकार,धार्मिक स्वतंत्रता, मंदिरों और पूजा स्थलों की सुरक्षा,कानून के सामने समानता तथा भयमुक्त जीवन है।

भारत में सरकारों के खिलाफ मुसलमानों एवं अन्य अल्पसंख्यकों के द्वारा आवाज उठाई जा सकती है, न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। यही लोकतांत्रिक भारत और धार्मिक-सामुदायिक असुरक्षा से जूझते पाकिस्तान के बीच बुनियादी अंतर है। दूसरा बड़ा प्रश्न पाकिस्तान के भारत-विरोधी आतंकवाद का है। पिछले कई दशकों में सीमा पार आतंकवाद भारत की सुरक्षा के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में रहा है। संसद पर हमला, मुंबई हमले,पठानकोट,उरी,पुलवामा और जम्मू-कश्मीर में लगातार हिंसक घटनाएं इस समस्या का हिस्सा रही हैं। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर कार्रवाई की। विदेश मंत्रालय ने उस समय स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान की जमीन पर चल रहे आतंकवादी ढांचे के विरुद्ध कार्रवाई की गई क्योंकि पाकिस्तान उन्हें नष्ट करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा था। 2025 में पहलगाम के आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सुरक्षा नीति में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत दिया।

22 अप्रैल 2025 के हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत सरकार ने इसे आतंकवादी ढांचे के विरुद्ध लक्षित और नियंत्रित कार्रवाई बताया। यह परिवर्तन केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है। भारत ने आतंकवाद के साथ-साथ उसके वित्तीय और नशीले पदार्थों के नेटवर्क पर भी ध्यान केंद्रित किया है। सरकार ने विदेशी तत्वों द्वारा नशीले पदार्थों को सीमा पार भेजकर 'नार्को-टेरर' को वित्त उपलब्ध कराने की बात कही है। यहां भारत की चुनौती केवल सीमा पर बंदूक लेकर खड़े आतंकवादी से नहीं है। चुनौती उस पूरे तंत्र से है जिसमें आतंकवाद,हथियार,ड्रोन,नशीले पदार्थ, फर्जी सूचनाएं और सामाजिक विभाजन-सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। पिछले एक दशक से अधिक समय में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि उसने पाकिस्तान को यह संदेश दिया है कि आतंकवाद और बातचीत को समानांतर रास्तों पर नहीं चलाया जा सकता। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट कार्रवाई और 2025 का ऑपरेशन सिंदूर अलग-अलग घटनाएं जरूर हैं,लेकिन इनके पीछे एक समान संदेश दिखाई देता है-भारत अब आतंकवाद को केवल सहने या निंदा करने तक सीमित नहीं रहेगा। इस बदले हुए भारत की तस्वीर पाकिस्तान की बेचैनी को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत की अर्थव्यवस्था,तकनीकी क्षमता,अंतरिक्ष कार्यक्रम,रक्षा उत्पादन, डिजिटल बुनियादी ढांचा,वैश्विक कूटनीति और रणनीतिक प्रभाव लगातार बढ़े हैं। आज भारत को विश्व राजनीति में केवल दक्षिण एशिया की शक्ति के रूप में नहीं,बल्कि वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा जाता है। पाकिस्तान की समस्या केवल यह नहीं है कि भारत उससे आर्थिक और सामरिक रूप से आगे निकल रहा है,उसकी बड़ी समस्या यह है कि भारत अपनी बहुलतावादी लोकतांत्रिक पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है।

जरदारी का बयान इसलिए भी विचारणीय है कि पाकिस्तान को भारत के भीतर की विविधता पर टिप्पणी करने से पहले अपने घर के भीतर झांकना चाहिए। भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ती आबादी का तथ्य स्वयं बताता है कि भारत में मुस्लिम समुदाय का अस्तित्व, विस्तार और सामाजिक जीवन किसी'समाप्ति'की कहानी नहीं है। दूसरी ओर पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर आज भी अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं गंभीर चिंता व्यक्त कर रही हैं। इसलिए दुनिया के उन देशों को भी पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए,जो केवल रणनीतिक या राजनीतिक हितों के कारण उसकी हर बात का समर्थन करते हैं। किसी राष्ट्र का मूल्यांकन उसके भाषणों से नहीं,उसके व्यवहार से होना चाहिए। यदि कोई देश एक तरफ आतंकवाद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिबद्धता जताए और दूसरी तरफ उसकी धरती से सक्रिय आतंकी नेटवर्क लगातार पड़ोसी को निशाना बनाते रहें,तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को केवल कूटनीतिक शब्दों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। भारत की शक्ति का अर्थ किसी धर्म या देश के प्रति घृणा नहीं, बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई है। भारत के मुसलमान भी उतने ही भारतीय हैं जितने हिंदू,सिख,ईसाई,जैन,बौद्ध और अन्य समुदाय। आज पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा प्रश्न भारत नहीं,बल्कि स्वयं पाकिस्तान है-वह कब यह स्वीकार करेगा कि आतंकवाद को विदेश नीति का औजार बनाना अंततः उसी समाज को अस्थिर करता है जिसने उसे जन्म दिया? पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों की हिंसा का दंश स्वयं वहां के नागरिक भी झेल रहे हैं। ह्यूमन राइटस वाच के अनुसार 2025 में पाकिस्तान में विभिन्न उग्रवादी संगठनों के हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए। जरदारी को भारत के 'अखंड भारत' की चिंता करने से पहले अपने वर्तमान पाकिस्तान की अखंडता, शांति और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। इतिहास का सबसे बड़ा व्यंग्य यही है कि जो राष्ट्र भारत की एकता पर प्रश्न उठाता है, वह स्वयं आतंकवाद,राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और सामाजिक विभाजन से जूझता रहा है।

कुदरत का अनूठा अजूबा, राइनोसिरोस हॉर्नबिल

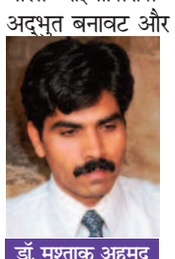

डॉ. मुश्ताक अहमद
हरदा,मध्यप्रदेश

सघन वर्षा वनों के ऊंचे कैनोपी (पेड़ों के ऊपरी हिस्से) में निवास करने वाला राइनोसिरोस हॉर्नबिल अपनी अद्भुत बनावट और विशिष्ट उपस्थिति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया,जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया (सुमात्रा,जावा, बोर्नियो) और थाईलैंड के जंगलों में पाया जाने वाला यह पक्षी सांस्कृतिक और पारिस्थितिक दोनों दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है।

अनोखी शारीरिक बनावट

इस पक्षी की सबसे बड़ी पहचान इसकी चोंच के ऊपर बनी सींग जैसी संरचना है, जिसे कास्क कहा जाता है। यह सींग की तरह ऊपर की ओर मुड़ा होता है, जिसकी वजह से इसे राइनोसिरोस (गेंडा) नाम मिला है।

कास्क की खासियत,यह कास्क अंदर से खोखला होता है और पक्षी की आवाज़ को बढ़ाने के लिए एक अनुनादक का काम करता है। पक्षी का शरीर मुख्य रूप से काले रंग का होता

है,जबकि पूंछ पर सफ़ेद और काले रंग का सुंदर संयोजन दिखाई देता है। इसकी चोंच और कास्क पर लाल,पीले और नारंगी रंग का मिश्रण होता है,जो पक्षी द्वारा अपनी प्रीन ग्रंथि (से निकलने वाले तेल को रगड़ने से बनता है।आंखें, नर पक्षी की आंखें लाल होती हैं,जबकि मादा की आंखें सफ़ेद या मोती जैसी होती हैं।

आहार और पारिस्थितिक भूमिका

राइनोसिरोस हॉर्नबिल मुख्य रूप से सर्वाहारी होते हैं। इनका मुख्य भोजन जंगली अंजीर,और अन्य फ़ल हैं। इसके अलावा ये छोटे सरीसृप,कीड़े-मकोड़े और छोटे पक्षियों के अंडों का भी शिकार करते हैं।

जंगल के पारिस्थितिक तंत्र में इनकी भूमिका जंगल के किसानों जैसी है। ये फलों के बीजों को दूर-दूर तक फ़ैलाते हैं, जिससे नए पेड़ उगते हैं और वर्षावन घने और समृद्ध बने रहते हैं।

प्रजनन की अनोखी तकनीक,इनका घोंसला बनाने का तरीका बेहद अनोखा होता है। मादा पक्षी पेड़ के खोखले तने के भीतर बैठकर खुद को बंद कर लेती है और केवल एक पतली झिरी छोड़ती है। नर हॉर्नबिल पूरी प्रजनन अवधि के दौरान बाहर से उस झिरी के माध्यम से मादा और बच्चों को भोजन पहुंचाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं,तब मादा बाहर आती है।

संरक्षण स्थिति

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इसे संकटापन्न श्रेणी में रखा है। वनों की अंधाधुंध कटाई और अवैध शिकार के कारण इनकी संख्या में भारी कमी आ रही है। मलेशिया के सारावाक राज्य में इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा हासिल है और वहां की स्थानीय संस्कृति में इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है।

राष्ट्रीय त्योहार पर विरोध : असहमति,गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादा

डॉ. सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

राष्ट्रीय त्योहार किसी भी देश के लिए केवल औपचारिक आयोजन नहीं होते, बल्कि वे नागरिक भावनाओं, सामूहिक स्मृति और राज्य की संवैधानिक गरिमा के प्रतीक भी होते हैं। ऐसे अवसरों पर यदि कोई समूह अपनी बात रखता है,तो उसे केवल भावनात्मक नजरिए से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि विरोध का अधिकार असीमित नहीं होता। जब विरोध हिंसा, पथराव, बाधा,अपमान या सार्वजनिक अव्यवस्था का रूप ले लेता है, तब वह लोकतांत्रिक असहमति की सीमा से बाहर चला जाता है। इसी संतुलन को समझना आज सबसे जरूरी है।

भारत जैसे बहुलतावादी समाज में असहमति कोई अपवाद नहीं, बल्कि लोकतंत्र का स्वाभाविक अंग है। किसान आंदोलन हों, छात्र आंदोलनों की आवाज़ हो, श्रमिकों की मांगें हों या किसी स्थानीय हत्याकांड और प्रशासनिक उपेक्षा के विरुद्ध जनाक्रोश–इन सबका एक सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ होता है। यह मान लेना कि हर विरोध राष्ट्र-विरोधी मानसिकता का परिणाम है, एक खतरनाक सरलीकरण होगा। लोकतंत्र में नागरिक इसलिए सवाल उठाते हैं क्योंकि वे व्यवस्था से संबंध बनाए रखना चाहते हैं, उसे तोड़ना नहीं। यदि व्यवस्था समय पर जवाब दे,न्याय दे और संवाद बनाए रखे, तो विरोध टकराव में बदलने से पहले ही शांत किया जा सकता है।

इसी के साथ यह भी सच है कि राष्ट्रीय पर्वों के दिन विरोध का तरीका और स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस केवल सरकार के आयोजन नहीं, बल्कि देश की सामूहिक पहचान के अवसर हैं। यदि किसी आंदोलन की मांग वास्तविक है, तो उसे व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए; लेकिन यदि वह प्रदर्शन ऐसे समय और ऐसे ढंग से किया जाए जिससे सार्वजनिक समारोह बाधित हो, सुरक्षा खतरे में पड़े और शांति भंग हो, तो वह अपनी नैतिक वैधता खोने लगता है। लोकतंत्र केवल अधिकारों का नहीं, जिम्मेदारियों का भी ढांचा है। अधिकार की रक्षा तभी टिकाऊ होती है जब वह मर्यादा के साथ प्रयोग किया जाए।

यहां प्रशासन की भूमिका भी निर्णायक बनती है। राज्य का पहला कर्तव्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन केवल बल प्रयोग कानून-व्यवस्था नहीं होता। यदि किसी क्षेत्र में लंबे समय से असंतोष है–जैसे किसी हत्याकांड की जांच, ग्रामीण इलाकों की उपेक्षा, किसानों की शिकायतें या स्थानीय समुदायों का अविश्वास–तो प्रशासन को पहले से संवाद करना चाहिए। बड़ी रैलियों,सरकारी समारोहों और संवेदनशील दिनों के लिए पूर्व-समन्वय, वार्ता, और वैकल्पिक प्रदर्शन-स्थल जैसी व्यवस्थाएं तनाव घटा सकती हैं। जब प्रशासन केवल अंतिम क्षण में सख्ती दिखाता है, तो कई बार स्थिति और बिगड़ जाती है। इसलिए शासन का लक्ष्य केवल भीड़ हटाना नहीं, भरोसा बहाल करना होना चाहिए।

विरोध का स्वरूप भी बहुत कुछ तय करता है। शांतिपूर्ण धरना, ज्ञापन, पदयात्रा, प्रतीकात्मक प्रदर्शन या मीडिया-संवाद लोकतांत्रिक दबाव के स्वीकृत तरीके हैं। लेकिन पथराव, तोड़फोड़, लाठीचार्ज की स्थिति पैदा करना या वाहन-आवागमन रोकना भीड़ को नागरिक नहीं रहने देता। ऐसे व्यवहार का बचाव नहीं किया जा सकता,चाहे उसके पीछे कितना भी वैध आक्रोश क्यों न हो। साथ ही, विरोधकारियों को भी यह समझना चाहिए कि जब वे सार्वजनिक सम्मान के मंच को निशाना बनाते हैं,तो वे अपनी मांगों के प्रति सहानुभूति को कमजोर करते हैं। मुद्दा जितना गंभीर होगा,तरीका उतना ही संयमित होना चाहिए।

दूसरी ओर,केवल विरोधकारियों को दोष देना भी उचित नहीं होगा। यदि जनता में बार-बार यह भावना बने कि उसकी शिकायतें अनसुनी हैं, कि न्याय में देरी है, कि स्थानीय प्रशासन सत्ता के संरक्षण में काम कर रहा है,तो आक्रोश स्वाभाविक है। लोकतंत्र में असंतोष का उभरना असफलता का प्रमाण नहीं, बल्कि सुधार की सूचना है। समस्या तब पैदा होती है जब शासन संस्थाएं इस संकेत को सुनने के बजाय उसे दमन का विषय बना देती हैं। इससे सामाजिक दूरी बढ़ती है और हर अगला विरोध अधिक तीखा होने लगता है। इसलिए राज्य को चाहिए कि वह केवल कानून के कठोर चेहरे के साथ नहीं, संवाद के मानवीय चेहरे के साथ भी उपस्थित हो।

राष्ट्रीय त्योहारों पर विरोध को देश-विरोधी कह देना राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हो सकता है,लेकिन लोकतांत्रिक दृष्टि से यह अक्सर हानिकारक होता है।

स्वतंत्रता का मर्म केवल अधिकार ही नहीं बल्कि देश के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण का दायित्व बोध भी है...

संजीव ठाकुर,रायपुर छत्तीसगढ़

स्वतंत्रता की भावना केवल एक दिवस मनाने का अवसर नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में उसके मर्म को जीने का संकल्प है। 15 अगस्त को हमें केवल यह नहीं कहना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं बल्कि स्वयं से यह भी पूछना चाहिए क्या हम स्वतंत्रता के योग्य नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं?स्वतंत्रता का उत्सव एक दिन का हो सकता है,लेकिन स्वतंत्रता की जिम्मेदारी प्रतिदिन निभानी होती है। राष्ट्रध्वज वर्ष में एक बार नहीं,हमारे आचरण में हर दिन ऊँचा होना चाहिए। संविधान केवल पुस्तक में नहीं, हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। राष्ट्रप्रेम केवल नारों में नहीं, हमारे कर्मों में सुनाई देना चाहिए। आज आवश्यकता है कि हम स्वतंत्रता को 6 से आगे बढ़ाकर उत्तरदायित्व, उत्सव से आगे बढ़ाकर जीवन-मूल्य और एक दिवस से आगे बढ़ाकर जीवन-शैली बनाएँ। यही उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने हमें स्वतंत्र भारत दिया। यही लोकतंत्र की वास्तविक रक्षा होगी। और यही उस स्वतंत्रता का मर्म है,जिसकी ज्योति हमें आने वाली पीढ़ियों तक निरंतर जलाए रखनी है। स्वतंत्रता केवल हमें मिली हुई विरासत नहीं है; यह आने वाली पीढ़ियों को सौंपे जाने वाला हमारा नैतिक दायित्व भी है।15 अगस्त हमारे राष्ट्रीय जीवन का वह गौरवपूर्ण दिवस है,जब भारत ने लगभग दो शताब्दियों की पराधीनता के बाद स्वतंत्रता का सूर्य देखा। यह दिन केवल ध्वजारोहण, राष्ट्रगान,देशभक्ति के गीतों और समारोहों तक सीमित नहीं है। स्वतंत्रता दिवस वास्तव में आत्मचिंतन का दिन है–हम यह विचार करें कि जिन असंख्य ज्ञात-अज्ञात सेनानियों ने अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया, उनके सपनों का भारत बनाने की दिशा में हम कितने आगे बढ़े हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करना जितना कठिन था,उसकी गरिमा को बनाए रखना उससे कम चुनौतीपूर्ण नहीं। राजनीतिक स्वतंत्रता हमें 1947 में मिली,लेकिन स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी पूर्ण होगा, जब देश का प्रत्येक नागरिक भय, भेदभाव, अन्याय, अज्ञान, गरीबी,भ्रष्टाचार और सामाजिक संकीर्णताओं से मुक्त होकर गरिमापूर्ण जीवन जी सके। महात्मा गांधी ने कहा था स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी बेड़ियाँ तोड़ना नहीं,बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना भी है। इस विचार में स्वतंत्रता का गहरा मर्म छिपा है। हमारी स्वतंत्रता तभी सार्थक है,जब हम अपनी स्वतंत्रता के साथ दूसरे के अधिकार और सम्मान की भी रक्षा करें। आज आवश्यकता इस बात की है कि स्वतंत्रता को केवल एक राष्ट्रीय पर्व न बनाया जाए,बल्कि उसे जीवन-मूल्य बनाया जाए। यदि हम 15 अगस्त को राष्ट्रभक्ति की बातें करें और 16 अगस्त को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाएँ,नियमों की अवहेलना करें, भ्रष्टाचार को स्वीकार करें,जाति-धर्म और भाषा के नाम पर समाज को बाँटें, तो हमारी देशभक्ति केवल प्रदर्शन बनकर रह जाएगी।

स्वतंत्रता हमें अधिकार देती है,लेकिन उसके साथ कर्तव्य भी जोड़ती है। संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है,लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी अभिव्यक्ति से किसी दूसरे की गरिमा को चोट पहुँचाएँ। हमें विचार रखने का अधिकार है, पर दूसरे के विचार को सुनने का धैर्य भी होना चाहिए। हमें अपने धर्म और संस्कृति को मानने की स्वतंत्रता है,लेकिन दूसरे की आस्था का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ सामाजिक समानता की आवश्यकता पर विशेष बल दिया था। उनका चिंतन हमें यह समझाता है कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी टिकाऊ हो सकता है, जब उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र भी हो। इसलिए स्वतंत्र भारत की जिम्मेदारी केवल शासन चलाने वालों की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की है।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध उद्घोष स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना का प्रतीक बना। लेकिन आज स्वराज का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। आज स्वराज का अर्थ है अपने भीतर के भय पर विजय, अपने लोभ पर नियंत्रण,अपने पूर्वाग्रहों से मुक्ति और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता। रवींद्रनाथ ठाकुर ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहाँ मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊँचा हो।

ऐसे ढोंगी से बचो,तभी बचे संसार

डॉ. प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा

भय दिखलाकर पाप का,
माँगे दान अपार।
ऐसे ढोंगी से बचो,तभी बचे संसार॥
पाप-पुण्य का डर दिखा,
बाँधे मन की डोर,
भोली जनता को ठगें,
लगा-लगा कर जोर।
श्रद्धा को व्यापार कर,
लूटें बारंबार–
ऐसे ढोंगी से बचो,तभी बचे संसार॥
झूठे चमत्कार का,रचते ऐसा जाल,
भय के संग विवेक का,
पड़ता तभी अकाल।
अंधभक्ति में खो गया,
मानव का अधिकार–
ऐसे ढोंगी से बचो,तभी बचे संसार॥
दान-दक्षिणा के नाम पर,भरते स्वयं भंडार,
भक्तों के विश्वास का, करते कारोबार।
धर्म की ओट में छिपा,स्वार्थ का विस्तार
ऐसे ढोंगी से बचो, तभी बचे संसार॥
गुरु वही जो राह दे, भरे विवेकी ज्ञान,
जो डर भरकर लूटता,कैसा वह इंसान।
सच्ची श्रद्धा सत्य में, झूठे से इंकार–
ऐसे ढोंगी से बचो,तभी बचे संसार॥

आस्था रखिए सत्य में,रखिए मन में ज्ञान,
डर से कोई धर्म नहीं,मानवता महान।
सोच-समझकर चलिएगा,
मत खोना अधिकार
ऐसे ढोंगी से बचो,तभी बचे संसार॥

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

एक करोड़ की ज्वेलरी उठाईगिरी का खुलासा : 500 सीसीटीवी खंगालकर ओडिशा तक पहुंची पुलिस,46 लाख के जेवर बरामद

सीतापुर में दिनदहाड़े ज्वेलर्स का बैग उड़ाने वाले गिरोह की तलाश तेज,चार संदिग्धों की तस्वीर आई सामने...

-संवाददाता-
सीतापुर,17 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

सीतापुर में ज्वेलर्स से दिनदहाड़े करीब एक करोड़ रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण से भरा बैग उठाने के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता का दावा किया है। घटना के बाद छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड और ओडिशा तक करीब 500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने, तकनीकी विश्लेषण और दूसरे राज्यों की पुलिस से समन्वय के बाद पुलिस संदिग्धों तक पहुंची। ओडिशा के गंजाम जिले में एक संदिग्ध के घर की तलाशी से करीब 46 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। हालांकि,मामले में अभी कई सवाल अनसुलझे हैं। पुलिस के अनुसार घटना में चार संदिग्ध दो मोटरसाइकिलों पर सवार थे,लेकिन अब तक दो संदिग्धों की पहचान बताई गई है। वहीं पुलिस ने जिन दो नामों का उल्लेख किया है, उनमें से मुख्य संदिग्ध चांटी दास को अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। चोरी गई संपत्ति में से करीब 46 लाख रुपये की बरामदगी हुई है, जबकि शेष लगभग 54 लाख रुपये के आभूषणों का पता लगाया जाना बाकी है। इसलिए पुलिस की कार्रवाई को महत्वपूर्ण सफलता तो माना जा सकता है,लेकिन पूरे मामले का अंतिम खुलासा और पूरी बरामदगी अभी बाकी है।

दुकान खोलने पहुंचा था ज्वेलर्स, स्कूटी से बैग लेकर भागे बदमाश

पुलिस के मुताबिक 26 जुलाई 2026 की सुबह करीब 11:30 बजे अरुणदेव सोनी अपनी स्कूटी से ज्वेलरी का बैग लेकर हाईस्कूल सीतापुर के पास स्थित अपनी काशी विश्वनाथ ज्वेलर्स दुकान पहुंचे थे। उन्होंने स्कूटी में बैग रखा और दुकान का शटर खोलने लगे। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति स्कूटी के सामने रखा बैग लेकर फरार हो गया। बैग में सोने और चांदी के आभूषण बताए गए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई। शिकायत पर थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 296/2026 के तहत बीएनएस की धारा 303(2) में मामला दर्ज किया गया। धारा 303(2) बीएनएस चोरी के अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों का प्रावधान करती है।

सीसीटीवी से पहचान, ओडिशा के गंजाम तक पहुंची टीम

फुटेज में मिले हुलिए और अन्य तकनीकी सुरागों के आधार पर पुलिस ने अलग-अलग राज्यों की पुलिस से संपर्क किया। पुलिस के अनुसार संदिग्धों की पहचान ओडिशा के गंजाम जिले के सोर्डा निवासी चांटी दास और नारायणपुर थाना कोटिनाडा निवासी नागेश्वर राव के रूप में हुई। इसके बाद साइबर सेल और थाना सीतापुर की टीम को ओडिशा भेजा गया। पुलिस के मुताबिक स्थानीय पुलिस के सहयोग से करीब 10 दिनों तक संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश और सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

16 अगस्त की रात घर पहुंचा संदिग्ध, पुलिस पहुंची तो मिला ताला

जांच के दौरान स्थानीय पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि संदिग्ध चांटी दास 16 अगस्त की रात अपने घर पहुंचा था। सूचना पर सरगुजा पुलिस और ओडिशा पुलिस की संयुक्त टीम उसके घर पहुंची, लेकिन वहां ताला लगा मिला। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर नियमानुसार घर की तलाशी ली। चांटी दास मौके पर नहीं मिला, लेकिन पुलिस के अनुसार उसके घर से सीतापुर की घटना में चोरी किए गए आभूषण बरामद हुए।

घटना के बाद भागने का रूट बना पुलिस की सबसे बड़ी कड़ी : मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर साइबर सेल अंबिकापुर और थाना सीतापुर की संयुक्त टीम बनाई गई। घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज जुटाए गए। पुलिस के अनुसार फुटेज में दो मोटरसाइकिलों पर चार संदिग्ध दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने संदिग्धों के भागने के संभावित रूट को सीसीटीवी के जरिए फॉलो किया। जांच का दायरा सरगुजा के गेरसा से होते हुए जशपुर जिले के कांसाबेल, कुनकुरी और सिंगीबहार तक पहुंचा। इसके बाद झारखंड के कुरडेग, खैरनटोली और सिमडेगा तथा ओडिशा के सुंदरगढ़ सहित दूसरे संभावित इलाकों के फुटेज भी खंगाले गए। पुलिस का दावा है कि करीब 500 सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन और तकनीकी विश्लेषण से संदिग्धों की पहचान की दिशा में महत्वपूर्ण सुराग मिले।

बड़ा सवाल—बाकी 54 लाख के जेवर कहां? पुलिस के अनुसार चोरी की कुल संपत्ति करीब एक करोड़ रुपये की थी और अब तक करीब 46 लाख रुपये कीमत के आभूषण बरामद हुए हैं। यानी घोषित अनुमान के हिसाब से लगभग 46 प्रतिशत संपत्ति ही बरामद हो पाई है। बाकी करीब 54 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषणों का पता लगाना पुलिस के लिए अगली बड़ी चुनौती होगी। यदि यह रकम वास्तविक चोरी गई संपत्ति के मूल्य के अनुरूप है, तो जांच को केवल दो संदिग्धों तक सीमित न रखकर पूरे नेटवर्क, संभावित खरीदारों और चोरी के माल को खपाने वाले लोगों तक ले जाना जरूरी होगा।

अंतरराज्यीय गिरोह की आशंका की दिशा में भी जांच जरूरी : जिस तरह चोरी के बाद संदिग्धों का रूट सरगुजा से जशपुर, झारखंड और फिर ओडिशा तक जाता दिखाई दिया, उससे पुलिस की जांच में अंतरराज्यीय नेटवर्क की संभावना भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि, पुलिस की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर पूरे गिरोह के अंतरराज्यीय होने की पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में दूसरे राज्यों में दर्ज समान प्रकृति के ज्वेलरी चोरी या उठाईगिरी के मामलों से संदिग्धों का आपराधिक रिकॉर्ड मिलान करना, इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिलों की जानकारी जुटाना, मोबाइल लोकेशन और आपसी संपर्कों की जांच करना तथा चोरी के आभूषणों को खपाने वाले नेटवर्क तक पहुंचना जांच की अगली अहम कड़ी हो सकती है।

300.92 ग्राम सोना और 1.168 किलो चांदी बरामद

पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान 300.92 ग्राम सोने के आभूषण, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 43 लाख रुपये, तथा 1 किलो 168 ग्राम चांदी के आभूषण, जिनकी कीमत करीब 3 लाख रुपये बताई गई है, बरामद किए गए। इस तरह कुल करीब 46 लाख रुपये की संपत्ति की बरामदगी का दावा किया गया है। यह बरामदगी मामले में महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन पुलिस के सामने अब भी लगभग 54 लाख रुपये की बताई गई शेष संपत्ति की बरामदगी बड़ी चुनौती है। साथ ही यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि बरामद आभूषणों की पहचान किस प्रक्रिया से पीड़ित व्यापारी की चोरी गई संपत्ति के रूप में सुनिश्चित की गई है।

'खुलासा' हुआ, लेकिन गिरफ्तारी और पूरी बरामदगी अभी बाकी

पुलिस ने कार्रवाई को मामले का खुलासा बताया है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी तक चांटी दास और नागेश्वर राव की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस स्वयं कह रही है कि दोनों के साथ-साथ मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस लिहाज से इसे 'मामले में महत्वपूर्ण सुराग और आंशिक बरामदगी' कहना अधिक सटीक होगा। चार संदिग्धों के सीसीटीवी में सामने आने के बावजूद अभी केवल दो की पहचान बताई गई है। यह भी जांच का विषय है कि घटना की योजना किसने बनाई, स्थानीय स्तर पर रेकी किसने की, चोरी के बाद आभूषण कहां-कहां ले जाए गए और संभावित खरीदार अथवा रिसीवर कौन हैं।

संयुक्त टीम की भूमिका

मामले के खुलासे में साइबर सेल अंबिकापुर के प्रभारी सउनि अजीत मिश्रा, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान,विकास सिन्हा,आरक्षक अशोक यादव, अनुज जायसवाल, मनीष सिंह, अमन पुरी और राहुल केरकेट्टा की भूमिका बताई गई है। थाना सीतापुर से थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अखिलेश सिंह, उपनिरीक्षक रघुनाथ भगत, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक अनिल कुमार, प्रधान आरक्षक तीजराम पैंकरा, आरक्षक राकेश यादव और महेंद्र नाग तथा थाना मणिपुर से आरक्षक उमाशंकर साहू, कुशकुमार सोनी सहित पुलिसकर्मी जांच में शामिल रहे। ओडिशा पुलिस की ओर से एसडीओपी आश्का सौरव रंजन, थाना प्रभारी/निरीक्षक आश्का सुधीर कुमार, निरीक्षक दीप्ती रंजन बेहरा, प्रधान आरक्षक पंचानन तथा आरक्षक मनोज कुमार, बरुण कुमार और हेमंत कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मियों के सहयोग को भी पुलिस ने सराहनीय बताया है।

अब असली परीक्षा

सीतापुर की इस वारदात में करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अंतरराज्यीय सीमा पार संदिग्धों तक पहुंचना पुलिस की तकनीकी जांच क्षमता को जरूर दर्शाता है। 46 लाख रुपये के आभूषणों की बरामदगी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन एक करोड़ की चोरी में केवल 46 लाख की बरामदगी,मुख्य संदिग्धों की गिरफ्तारी का लंबित रहना और चार संदिग्धों में से केवल दो की पहचान सामने आना बताता है कि जांच अभी अपने अंतिम पड़ाव पर नहीं पहुंची है।

अब पुलिस के सामने तीन प्रमुख लक्ष्य है...

फरार संदिग्धों की गिरफ्तारी,शेष करीब 54 लाख रुपये की संपत्ति की बरामदगी और पूरे चोरी नेटवर्क का पर्दाफाश। इन तीनों कड़ियों के जुड़ने के बाद ही सीतापुर की इस बड़ी उठाईगिरी का पूर्ण खुलासा माना जा सकेगा।

नजूल पट्टा नवीनीकरण सरल हो,लहपटरा टोल में स्थानीय लोगों को मिले राहत

कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, व्यवसायी वर्ग की समस्याओं के समाधान की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

नजूल भूमि के पट्टों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल करने तथा लहपटरा टोल प्लाजा से नियमित रूप से गुजरने वाले स्थानीय लोगों को टोल टैक्स में राहत देने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस सहसचिव राकेश सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 1996 के बाद 30 वर्ष की अवधि पूरी होने के चलते अंबिकापुर शहर में नजूल भूखंडों के नवीनीकरण की प्रक्रिया 30 मार्च 2026 से लंबित है। शहर में करीब 20 हजार नजूल भूस्वामियों में से लगभग 80 प्रतिशत इस समस्या से प्रभावित बताए गए हैं। मौजूदा नवीनीकरण प्रक्रिया जटिल होने के साथ ही बड़ी संख्या में प्रकरणों के निराकरण के लिए सरकारी मशीनरी की क्षमता भी पर्याप्त नहीं है। इसके चलते आम नागरिकों, विशेषकर व्यवसायी वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नवीनीकरण की जटिल प्रक्रिया का लाभ उठाकर दलाल सक्रिय हो गए हैं और लोगों से लाखों रुपये की वसूली की जा रही है। उन्होंने वार्डवार शिविर लगाकर नवीनीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण करने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की। वहीं अंबिकापुर-बिलासपुर मार्ग पर स्थापित लहपटरा टोल प्लाजा को लेकर भी राहत की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं के अनुसार अंबिकापुर से उदयपुर और आगे के क्षेत्रों से नौकरी एवं व्यवसाय के लिए नियमित रूप से आने-जाने वाले लोग निजी वाहनों से टोल प्लाजा पार करते हैं। एक बार गुजरने का करीब 80 रुपये शुल्क नियमित यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहा है। ऐसे लोगों के लिए स्थानीय पास अथवा टोल शुल्क में विशेष रियायत देने की मांग की गई। प्रदेश कांग्रेस सहसचिव राकेश सिंह ने कहा कि नजूल पट्टा नवीनीकरण और लहपटरा टोल प्लाजा दोनों मुद्दों का सबसे अधिक असर अंबिकापुर शहर एवं क्षेत्र के व्यवसायी वर्ग पर पड़ रहा है। उन्होंने मंत्री राजेश अग्रवाल से नजूल पट्टा नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल कराने के लिए राज्य सरकार से पहल करने तथा लहपटरा टोल से नियमित गुजरने वाले लोगों को राहत दिलाने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे जनहित के मुद्दों पर पहल कर 'डबल इंजन' सरकार की अवधारणा को सार्थक किया जाना चाहिए।

चाय बेचकर एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने जताया विरोध

15,900 का स्टाइपेंड बढ़ाकर 30 हजार करने की मांग, 12 दिन से प्रदर्शन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल परिसर में सोमवार को सफेद एप्रन पहने इंटर्न डॉक्टर हाथ में केतली और चाय के लिए डिस्पोजल कप लिए नजर आए। धरनास्थल पर अदरक मिश्रित चाय की खुशबू के साथ एक डिब्बा भी ये रखे थे जिसमें जितनी मर्जी रकम डाल सकते थे। ऐसे में अस्पताल परिसर का नजारा बदला हुआ था। इनकी मांग है कि राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में इंटर्न्स के वर्तमान स्टाइपेंड का तत्काल समीक्षा की जाए। इंटर्न्स के स्टाइपेंड में उचित एवं सम्मानजनक वृद्धि की जाए। स्टाइपेंड वृद्धि के संबंध में स्पष्ट एवं लिखित शासनादेश जारी किया जाए। संशोधित स्टाइपेंड के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की जाए। भविष्य में इंटर्न स्टाइपेंड की समय-समय पर समीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि यह महंगाई एवं वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बना रहे। इनका कहना था कि एमबीएस की पढ़ाई के बाद मिलने वाला स्टाइपेंड इतना कम है कि एक चाय बेचने वाला भी उनसे ज्यादा कमा लेता है। बीते छह अगस्त से इन मांगों को लेकर धरने पर बैठे इंटर्न चिकित्सकों ने 12वें दिन सोमवार को प्रदर्शन का तरीका बदला। धरनास्थल पर ही इन्होंने चाय बनाई, और अस्पताल में आने-जाने वाले मरीजों के स्वजन, स्टाफ और आम लोगों को चाय पिलाते हुए अपनी पीड़ा को सामने लाने का इन्होंने प्रयास किया। चाय के साथ एक डिब्बा भी ये रखे थे। इंटर्न चिकित्सकों ने कहा कि अगर किसी को चाय की कीमत देनी हो तो वह स्वेच्छा से डिब्बे में राशि डाल सकता है। इस प्रतीकात्मक कदम के जरिए उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की, कि बाजार में एक चायवाला दिनभर में जो कमाता है, वह 24 घंटे ड्यूटी करने वाले इंटर्न डॉक्टर के दैनिक स्टाइपेंड से ज्यादा है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में एमबीबीएस चायवाला प्रदर्शन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। बीच-बीच में ये नारेबाजी करके सरकार के द्वारा की जा रही अनदेखी के प्रति नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे। इंटर्न चिकित्सकों का कहना है कि, वे पूरे समर्पण भाव से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आपातकालीन, ओपीडी और वार्ड में दिन-रात ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में एमबीबीएस इंटर्न को मिलने वाला स्टाइपेंड सबसे कम है, जबकि दूसरे राज्यों में इंटर्न को कहीं अधिक स्टाइपेंड दिया जाता है। उन्हें स्टाइपेंड में वृद्धि के साथ ही अस्पताल में सम्मान और सुरक्षा भी चाहिए।

छत्तीसगढ़ में 15900 रुपये स्टाइपेंड मिलता है, इसे कम से कम 30000 रुपये करना उनके हित में होगा। इंटर्न ने कहा, हम डॉक्टर बनने के बाद भी आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि स्वयं का खर्च चला पाना मुश्किल हो रहा है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो यह आंदोलन और तेज होगा। बता दें कि प्रदेश स्तर पर सभी मेडिकल कॉलेजों के लगभग 1000 इंटर्न चिकित्सक स्टाइपेंड में वृद्धि को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

मेडिकल कॉलेज में इंटर्न की संख्या 116 : अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में इंटर्न की संख्या 116 है, जो 6 अगस्त से रोजाना धरना में अपनी शांतिपूर्वक उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सोमवार का एमबीबीएस चायवाला प्रदर्शन इसी आंदोलन का हिस्सा था। इंटर्न चिकित्सकों ने साफ कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इस अनोखे प्रदर्शन को देखकर अस्पताल आए लोग भी रुककर उनकी बातों को सुनते रहे। कई लोगों ने चाय पीने के साथ डिब्बे में सहयोग राशि भी डाली और इंटर्न की मांग का समर्थन किया।

कला केंद्र परिसर में दुकानों के निर्माण पर रोक की मांग

अधिवक्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, न्यायालय की गरिमा प्रभावित होने की जताई आशंका

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कला केंद्र परिसर में प्रस्तावित दुकानों के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने कहा कि कला केंद्र शहर का महत्वपूर्ण सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक स्थल है। यहां विभिन्न मेले, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शासकीय आयोजन होते हैं। ज्ञापन में बताया गया कि कला केंद्र जिला न्यायालय के समीप तथा कलेक्टोरेट परिसर और गांधी स्टेडियम के बीच स्थित है। प्रस्तावित दुकानों के कारण यहां भीड़, यातायात का दबाव, अव्यवस्था, शोर-शराबा और सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसका असर न्यायालय की गरिमा और न्यायिक कार्यों की सुचारू व्यवस्था पर पड़ने की आशंका है। अधिवक्ताओं ने कहा कि सार्वजनिक स्थल को व्यावसायिक उपयोग के लिए परिवर्तित करने से शहर में सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक आयोजनों के लिए उपलब्ध स्थान कम होगा। उन्होंने कलेक्टर से निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने, परियोजना की सभी प्रशासनिक एवं वैधानिक स्वीकृतियों की समीक्षा कराने तथा अधिवक्ताओं, नागरिक संगठनों एवं संबंधित हितधारकों से विचार-विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लेने की मांग की है।

'पुरखा के सुरता' में याद किए गए सरगुजा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष

14 जिलाध्यक्षों के 18 कार्यकाल की तस्वीरों का हुआ अनावरण, दिवंगत अध्यक्षों के परिजनों का सम्मान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राजीव भवन में 'पुरखा के सुरता' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आजादी के बाद से अब तक सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाले सभी जिलाध्यक्षों के फोटोग्राफ का अनावरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने ध्वजारोहण के बाद राजीव भवन के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर दिवंगत जिलाध्यक्षों के परिजनों को विशेष रूप से आमंत्रित कर शाल-श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री बालकृष्ण पाठक ने बताया कि 'पुरखा के सुरता' कार्यक्रम की पहल का श्रेय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री आदित्येश्वर शरण सिंहदेव को जाता है। उन्होंने कहा कि 'पुरखा के सुरता' पूर्वजों के स्मरण से जुड़ा भावपूर्ण शीर्षक है, जो छत्तीसगढ़ की लोककला,संस्कृति,परंपरा और साहित्य में अपने पूर्वजों के योगदान को याद करने का प्रतीक है।

दिवंगत जिलाध्यक्षों के परिजनों का सम्मान : पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने दिवंगत जिलाध्यक्षों के परिजनों को शाल-श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। जिला कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष स्व. सरदार किशन सिंह बाबरा की ओर से सरदार भूपेंद्र सिंह बाबरा, स्व. डॉ. डी.पी. गुप्ता की ओर से गोपाल केशरी एवं सुधांशु केशरी, स्व. ताराचंद अग्रवाल की ओर से अजय अग्रवाल, स्व. डॉ. राजेश्वरी त्रिपाठी की ओर से प्रमोद त्रिपाठी तथा स्व. सुरेंद्र सिन्हा की ओर से रवि सिन्हा ने सम्मान ग्रहण किया।राजमाता स्व. देवेंद्र कुमारी सिंहदेव की ओर से यह सम्मान स्वयं श्री टी.एस. सिंहदेव ने वर्तमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री बालकृष्ण पाठक के हाथों ग्रहण किया। कार्यक्रम में अजय अग्रवाल, श्री बालकृष्ण पाठक एवं राकेश गुप्ता को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री सिंहदेव ने कहा कि दिवंगत और वर्तमान जिलाध्यक्षों के मार्गदर्शन में सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने जो सफलता हासिल की है, वह अभूतपूर्व है। समय के साथ पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन सरगुजा में इस गौरवशाली परंपरा को कायम रखना सभी की जिम्मेदारी है।

14 जिलाध्यक्षों के 18 कार्यकाल की तस्वीरें : आजादी के बाद अविभाजित सरगुजा जिले से लेकर वर्तमान स्वरूप तक जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर 14 व्यक्तित्वों ने कुल 18 कार्यकाल पूरे किए हैं। वर्ष 1997 तक अविभाजित सरगुजा जिला वर्तमान में सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया और एमसीबी जिलों में विभाजित हो चुका है। सरगुजा जिला कांग्रेस के अध्यक्षों का क्रम इस प्रकार रहा– स्व. सरदार किशन सिंह बाबरा, अधिवक्ता स्व. कृष्ण नारायण शेष, स्व. डॉ. डी.पी. गुप्ता,स्व. विजेंद्र लाल गुप्ता, स्व. ताराचंद अग्रवाल,स्व. समर बहादुर सिंह,स्व. फूलचंद संपरिया,स्व. डॉ. राजेश्वरी त्रिपाठी,अधिवक्ता स्व. सुरेंद्र सिन्हा,राजमाता स्व. देवेंद्र कुमारी सिंहदेव, स्व. उमेश्वर शरण सिंहदेव,अजय अग्रवाल,बालकृष्ण पाठक एवं राकेश गुप्ता। इनमें राजमाता स्व. देवेंद्र कुमारी सिंहदेव और स्व. उमेश्वर शरण सिंहदेव ने दो-दो कार्यकाल,जबकि वर्तमान जिलाध्यक्ष श्री बालकृष्ण पाठक ने तीन बार जिला कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व संभाला है। वर्तमान में श्री बालकृष्ण पाठक सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं।

कोरिया और एमसीबी में शान से लहराया तिरंगा,देशभक्ति के रंग में रंगे जिला मुख्यालय

बैकुंठपुर में विधायक भईया लाल राजवाड़े और मनेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया ध्वजारोहण,परेड की ली सलामी शहीद परिवारों का सम्मान और उत्कृष्ट अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र

-संवाददाता-
कोरिया/एमसीबी,17 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर इस बार कोरिया और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के जिला स्तरीय सरकारी समारोहों में 'वंदे मातरम्' का सामूहिक गायन विशेष आकर्षण रहा, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026 में 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी किए गए कार्यक्रमों और गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय गीत संबंधी अद्यतन प्रोटोकॉल के बीच इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोहों में राष्ट्रीय गीत को विशेष स्थान मिला, गृह मंत्रालय के निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि जब किसी समारोह में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों प्रस्तुत किए जाएं, तो 'वंदे मातरम्' का गायन/वादन पहले और उसके बाद राष्ट्रगान किया जाना चाहिए।

कोरिया और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के जिला मुख्यालयों में स्वतंत्रता दिवस समारोह देशभक्ति, उत्साह और गरिमामय वातावरण के बीच मनाया गया, बैकुंठपुर के रामानुज मिनी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में बैकुंठपुर विधायक भईया लाल राजवाड़े ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली,जबकि मनेंद्रगढ़ के आमाखेरवा स्थित पुलिस ग्राउंड में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राष्ट्रध्वज फहराकर परेड की सलामी ली,दोनों ही जिलों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्वतंत्रता दिवस संदेश का वाचन किया गया तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों,शहीदों और उनके परिजनों के योगदान को स्मरण करते हुए सम्मानित किया गया, इसी क्रम में बैकुंठपुर के रामानुज मिनी स्टेडियम और मनेंद्रगढ़ के आमाखेरवा पुलिस ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में 'वंदे मातरम्' का सामूहिक गायन किया गया, लंबे समय बाद राष्ट्रीय पर्व के सरकारी समारोह में 'वंदे मातरम्' को इस तरह प्रमुखता से शामिल किए जाने से समारोह में मौजूद लोगों में विशेष उत्साह और गर्व का भाव देखने को मिला, 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर देशभर में वर्षभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों में भी इसे स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना से जुड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में रेखांकित किया गया है, कोरिया और एमसीबी में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान जब सामूहिक स्वर में 'वंदे मातरम्' गूंजा तो समारोह स्थल पर मौजूद अधिकारी-कर्मचारी,जनप्रतिनिधि,विद्यार्थी और नागरिक राष्ट्रभक्ति के भाव से एकजुट नजर आए, इस बार का स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी यादगार रहा कि तिरंगे के साथ 'वंदे मातरम्' की गूंज ने समारोह को आजादी के आंदोलन की ऐतिहासिक स्मृतियों से जोड़ दिया।

बैकुंठपुर में विधायक भईया लाल राजवाड़े ने ली परेड की सलामी-कोरिया

जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के रामानुज मिनी स्टेडियम में आयोजित समारोह में विधायक भईया लाल राजवाड़े ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को नमन किया,इसके बाद उन्होंने कलेक्टर रोक्तिमा यादव एवं पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर के साथ परेड का निरीक्षण किया,रक्षित निरीक्षक के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल,छत्तीसगढ़ पुलिस बल, महिला पुलिस बल,नगर सेना पुरुष एवं महिला तथा एनसीसी सीनियर कैडेट्स की टुकड़ियों ने अनुशासित एवं आकर्षक मार्चपास्ट प्रस्तुत किया,इस अवसर पर विधायक श्री राजवाड़े ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्वतंत्रता दिवस संदेश का वाचन करते हुए जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं, ध्वजारोहण के बाद शांति और सौहार्द के प्रतीक रंगीन गुब्बारे भी आकाश में छोड़े गए।

शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान-बैकुंठपुर में समारोह के दौरान विधायक भईया लाल राजवाड़े ने शहीदों के परिजनों से आत्मीयता से मुलाकात की, उन्होंने उनका हालचाल जाना तथा शॉल एवं श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया,इसी तरह मनेंद्रगढ़ में भी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिले के शहीद परिवारों के सदस्यों को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर सपूतों का बलिदान देश की अमूल्य धरोहर है,शहीद परिवारों का सम्मान केवल एक औपचारिकता नहीं,बल्कि उनके त्याग और बलिदान के प्रति समाज की कृतज्ञता का प्रतीक है,सम्मान के दौरान दोनों समारोह स्थलों पर वातावरण भावुक और गौरवपूर्ण नजर आया।

मनेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री ने किया ध्वजारोहण-एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के आमाखेरवा पुलिस ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली,इस दौरान कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े,पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंकिता सोम सहित जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी,जनप्रतिनिधि,विद्यार्थी,शहीद परिवारों के सदस्य और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे, मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों और अमर शहीदों को नमन किया, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं है,बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को याद करने,देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने तथा विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लेने का पर्व है।

एमसीबी में साइबर जागरूकता अभियान का शुभारंभ-मनेंद्रगढ़ के स्वतंत्रता दिवस समारोह में जिले में साइबर जागरूकता अभियान का भी शुभारंभ किया गया,यह अभियान 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा, अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों को बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करना तथा डिजिटल लेन-देन के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतने के लिए प्रेरित करना है,अभियान के तहत ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल,संदिग्ध लिंक,फर्जी वेबसाइट, साइबर फ्रॉड और डिजिटल भुगतान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी,नागरिकों से ओटीपी, बैंक संबंधी जानकारी,पासवर्ड अथवा अन्य गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा नहीं करने तथा संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचने की अपील की गई। समारोह स्थल पर बनाए गए सेल्फी जोन के माध्यम से भी साइबर सुरक्षा का संदेश दिया गया।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों का सम्मान-दोनों जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया,कोरिया में कलेक्टर कार्यालय के ई-जिला प्रबंधक श्री राकेश कुमार एवं सहायक ग्रेड-03 श्रीमती किरण टोप्पो को सम्मानित किया गया, स्वास्थ्य विभाग से जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. अनित कुमार बखला,108 संजीवनी एंबुलेंस सेवा के ईएमटी श्री परमेश्वर,वाहन चालक श्री दिनेश तथा जिला चिकित्सालय के ड्रेसर ग्रेड-02 श्री सचिन कुमार शर्मा को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया,शिक्षा विभाग से प्राचार्य श्री कमल डडसेना,व्याख्याता श्री राजीव जायसवाल,शैक्षिक समन्वयक श्री जय प्रताप सिंकुल,सहायक शिक्षक श्रीमती शांति देवी बैगा, कुमारी रितु बैगा एवं रिप चन्द्र साहू को सम्मानित किया गया।

घास काट रही महिला की तबियत बिगड़ी, हो गई मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

बाड़ी में घास काटने के लिए गई महिला पसीना से तर-बतर होकर घर लौटी और बताया कि गर्दन में दर्द हो रहा है। स्वजन उसे क्षेत्रीय अस्पताल से रिफर करने पर अंबिकापुर लेकर आ रहे थे,लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, सूरजपुर जिला के रामानुजनगर थाना अंतर्गत ग्राम मदनेश्वरपुर निवासी मोतीकुंवर पति उदर साय 42 वर्ष, 16 अगस्त को घर के बाड़ी में घास काटने के लिए गई थी। दोपहर करीब 1.30 बजे घर आकर बताई कि गर्दन के पीछे काफी दर्द हो रहा है। महिला को पसीना भी काफी आ रहा था और वह बेचैनी महसूस कर रही थी। स्वजन संजीवनी 108 एम्बुलेंस से उसे रामानुजनगर अस्पताल ले गए,यहां से प्राथमिक चिकित्सा के बाद रिफर करने पर सूरजपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, यहां से भी चिकित्सक ने उसे रिफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर के आपातकालीन चिकित्सा परिसर में जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्वजन ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है, और शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत चारपारा निवासी बीमार महिला शांति पिता स्व. जय सिंह 75 वर्ष की मौत हो गई।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में मॉन्टफोर्ट स्कूल का शानदार प्रदर्शन

देशभक्ति और संस्कृति से सजी प्रस्तुति ने जीता दिल, सांस्कृतिक कार्यक्रम में हासिल किया द्वितीय स्थान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

जिला प्रशासन द्वारा पीजी कॉलेज ग्राउंड अंबिकापुर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मॉन्टफोर्ट स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार एवं संदेशपरक सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। विद्यार्थियों की प्रभावशाली प्रस्तुति को निर्णायकों ने द्वितीय स्थान प्रदान किया। समारोह में मुख्य अतिथि श्री रामविचार नेताम ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर कलेक्टर, कमिश्नर,आईजी,एसपी सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जिले के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मॉन्टफोर्ट स्कूल के विद्यार्थियों की प्रस्तुति

में देशभक्ति,भारतीय संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं, विविधता में एकता और सामाजिक जिम्मेदारी का सुंदर समन्वय देखने को मिला। अभिनय, नृत्य, संवाद, सामूहिक तालमेल और अनुशासन से सजी प्रस्तुति ने दर्शकों की खूब सराहना बटोरी।

स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश : प्रस्तुति का विशेष आकर्षण स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा संदेश रहा। विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ को स्वच्छता के क्षेत्र में उपलब्धियों और अंबिकापुर की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हुए स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के निर्माण का संदेश दिया। विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से यह संदेश भी दिया कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि देश की समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं का सम्मान करने, विविधता में एकता की भावना को मजबूत करने और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने का अवसर है।

विद्यालय में भी उत्साह से मनाया स्वतंत्रता दिवस : मॉन्टफोर्ट स्कूल परिसर में भी स्वतंत्रता दिवस गरिमापूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य ब्रदर एस. गैब्रियल ने ध्वजारोहण कर किया। इसके बाद शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर राष्ट्रीय पर्व के प्रति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया।

विद्यार्थियों की मेहनत और टीम भावना को मिली पहचान : सांस्कृतिक प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करना विद्यार्थियों की प्रतिभा, रचनात्मकता, अनुशासन, अथक परिश्रम और टीम भावना का परिणाम रहा। विद्यालय परिवार ने सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों एवं मार्गदर्शक शिक्षकों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ देश, समाज और संस्कृति के प्रति जिम्मेदार बनाने के उद्देश्य से ऐसे आयोजनों में निरंतर सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। मॉन्टफोर्ट स्कूल परिवार ने भविष्य में भी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक आयोजनों में इसी उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ सहभागिता जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया।

साइबर जागृति अभियान में 500 छात्र-छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव की दी जानकारी

OTP,UPI,QR कोड फ्रॉड से लेकर डिजिटल अरेस्ट तक के खतरे समझाए, जागरूकता सेल्फी के जरिए सुरक्षा संदेश देने की अपील

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

साइबर अपराधों के प्रति युवाओं में जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस द्वारा संचालित 'साइबर जागृति अभियान' के तहत राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं नगर पालिका हायर सेकेंडरी स्कूल में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में करीब 500 छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की। डीआईजी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार अग्रवाल के दिशा-निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व साइबर सेल के नोडल अधिकारी श्री रितेश चौधरी के मार्गदर्शन में अभियान के प्रथम सप्ताह जिले के स्कूल-कॉलेज एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बढ़ते साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी गई। OTP, UPI एवं क्यूआर कोड फ्रॉड, फर्जी लिंक, APK फाइल, फर्जी कस्टमर केयर नंबर, सोशल मीडिया फ्रॉड, फर्जी प्रोफाइल,

अनजान वीडियो कॉल, सेक्सटॉर्शन और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों से बचाव के उपाय समझाए गए। विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, PIN, CVV, पासवर्ड अथवा बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें। संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने, अनजान फाइल डाउनलोड करने या किसी के कहने पर क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें। सोशल मीडिया पर निजी फोटो, वीडियो और व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय भी विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई।

ठगी होते ही 1930 पर करें शिकायत : साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल कार्रवाई के महत्व को समझाते हुए विद्यार्थियों को राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 तथा cyber crime.gov.in के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। पुलिस ने बताया कि साइबर ठगी का शिकार होने के बाद जितनी जल्दी शिकायत दर्ज कराई जाएगी, ठगी गई राशि को रोकने की संभावना उतनी ही बढ़ सकती है।

'जागरूकता की एक सेल्फी' से दिया सुरक्षा संदेश : कार्यक्रम के दौरान 'जागरूकता की एक Selfie' अभियान के तहत विद्यार्थियों को जागरूकता क्यूआर कोड के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें क्यूआर कोड के माध्यम से साइबर जागरूकता अभियान से जुड़ने तथा साइबर सुरक्षा संबंधी संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यार्थियों ने क्यूआर कोड के साथ सेल्फी लेकर अभियान में सहभागिता भी दर्ज कराई। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. एजन टोप्पो, प्राचार्य विनोद सिंह, नवा विहान से श्री अजय तिवारी, डॉ. विश्वासी एक्का, डॉ. सृष्टि शैफाली मिंज, सहायक प्राध्यापक तथा पुलिस विभाग से सउनि अभय तिवारी, थाना गांधीनगर से विवेक चंद्राकर एवं पुलिस टीम, महिला थाना से महिला प्रधान आरक्षक एंजेला मिंज, प्रधान आरक्षक राजेश्वर खलखो, आरक्षक राहुल एवं महिला आरक्षक सविता मरावी सहित अन्य उपस्थित रहे। पुलिस मितान एवं साइबर वॉलंटियर टीम से अतुल गुप्ता, बसंत श्रीवास्तव, आर्यन पाण्डेय, विकेश राजवाड़े, विभाश्री सिंह एवं राजकुमार ने सक्रिय सहभागिता निभाते हुए विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने साइबर अपराधों से जुड़े विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे, जिनका पुलिस एवं साइबर जागरूकता टीम ने समाधान किया। विद्यार्थियों ने स्वयं सतर्क रहने के साथ-साथ अपने परिवार और समाज के अन्य लोगों को भी साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया।

अंबिकापुर के अवनीश पांडे बने सरगुजा केसरी,भिलाई के मोहम्मद आसिफ ने जीता सरगुजा भीम का खिताब

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

नाग पंचमी के अवसर पर सरगुजा कुश्ती संघ के तत्वावधान में मल्टीपरपज ग्राउंड में दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सरगुजा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों और सीमावर्ती राज्यों से करीब 150 पहलवानों ने हिस्सा लिया। रोमांचक मुकाबलों में अंबिकापुर के अवनीश पांडे ने सरगुजा केसरी, भिलाई के मोहम्मद आसिफ ने सरगुजा भीम, भिलाई के मनीष कुमार ने सरगुजा कुमार और लखनपुर के देवांगन जगत ने सरगुजा अभिमन्यु का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता का आयोजन सरगुजा कुश्ती संघ के अध्यक्ष विकास पांडे के नेतृत्व में किया गया। दंगल को चार वर्गों में बांटा गया था। उद्घाटन कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल, सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज, भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी सहित अन्य अतिथियों ने पहलवानों से परिचय प्राप्त कर किया। मुकाबलों के दौरान अखाड़े में पहलवानों ने अपने दांव-पेंच और दमखम का प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से पहुंचे खेलप्रेमियों ने दंगल का आनंद लिया। दर्शकों की तालियों और उत्साह से पहलवानों का हौसला बढ़ता रहा। सरगुजा केसरी के फाइनल मुकाबले में अंबिकापुर के अवनीश पांडे विजेता रहे, जबकि सतपाल यादव उपविजेता रहे। सरगुजा भीम में भिलाई के मोहम्मद आसिफ ने पहला स्थान हासिल किया और पवन कुमार उपविजेता रहे। सरगुजा कुमार का खिताब भिलाई के मनीष कुमार ने जीता, जबकि सरगुजा के लक्ष्मण पैकरा उपविजेता रहे। सरगुजा अभिमन्यु का खिताब लखनपुर के देवांगन जगत ने हासिल किया। कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों को जीवित रखने और नई पीढ़ी को इससे जोड़ने के लिए इस तरह के आयोजन जरूरी हैं। उन्होंने आयोजकों को बधाई देते हुए पहलवानों से खेल भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका खेल शिक्षक विवेक पांडे, राजेश प्रताप सिंह, नवनीत सिंह गिल, सुदेश पैकरा और गुरमीत छाबड़ा ने निभाई। संचालन संघ के कोषाध्यक्ष संजीव वर्मा ने किया। आयोजन को सफल बनाने में रवि विश्वकर्मा, विवेक सिंह, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, अमन गुप्ता, आनंद सिंह, गोलू यादव सहित संघ के पदाधिकारियों और खेलप्रेमियों का योगदान रहा।

अंबिकापुर को मिलेगी नए जिला एवं सत्र न्यायालय भवन की सौगात,आज होगा वर्चुअल भूमि पूजन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले की न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक और बेहतर सुविधाओं से लैस करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। अंबिकापुर के वर्तमान न्यायालय परिसर में प्रस्तावित नए जिला एवं सत्र न्यायालय भवन का वर्चुअल भूमि पूजन एवं शिलान्यास आज सुबह 10 बजे किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होकर भूमि पूजन एवं शिलान्यास करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 9:58 से 10 बजे तक अतिथियों का आगमन होगा। इसके बाद सुबह 10 बजे से

10:02 बजे तक सरगुजा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत स्वागत उद्बोधन देंगे। इसके पश्चात सुबह 10:02 से 10:03 बजे के बीच मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा द्वारा नए जिला एवं सत्र न्यायालय भवन, सरगुजा अंबिकापुर के निर्माण के लिए वर्चुअल भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया जाएगा।

इसी दौरान सूरजपुर जिले में न्यायिक अधिकारियों के लिए नवनिर्मित आवासीय क्वार्टर का लोकार्पण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में सरगुजा के पोर्टफोलियो जज न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू के साथ सूरजपुर जिले के पोर्टफोलियो जज न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल भी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहेंगे।

प्रस्तावित भवन की दिखाई जाएगी झलक

भूमि पूजन एवं शिलान्यास के बाद प्रस्तावित नए जिला एवं सत्र न्यायालय भवन से संबंधित शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भवन का प्रस्तावित स्वरूप और सुविधाओं की झलक दिखाई जाएगी। इसके बाद सूरजपुर में नवनिर्मित न्यायिक अधिकारियों के आवासीय क्वार्टर से संबंधित वीडियो का प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 10:07 बजे से मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा का मुख्य संबोधन होगा। कार्यक्रम के अंत में सूरजपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश थॉमस एक्का आभार प्रदर्शन करेंगे।

अधिवक्ता संघ ने नागरिकों से की सहभागिता की अपील

सरगुजा जिला अधिवक्ता संघ अंबिकापुर ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर शहर के अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों, गणमान्य नागरिकों एवं आम नागरिकों से कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराने की अपील की है। अधिवक्ता संघ ने कहा कि नया न्यायालय भवन जिले की न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा और इससे न्यायिक कार्यों के संचालन में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है।

तीन दिवसीय सद्भावना बैडमिंटन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय सद्भावना बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन 16 अगस्त की रात हुआ। प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों में खेल भावना, फिटनेस, फिट इंडिया संदेश तथा सद्भावना और एकता की भावना को बढ़ावा देना था। प्रतियोगिता में चार आयु वर्गों में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 20 वर्ष से कम ओपन आयु वर्ग में 32 टीमों के 64 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 27 मैच खेले गए। 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 24 टीमों के 48 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 18 टीमों के 36 खिलाड़ियों ने मुकाबले किए। वरिष्ठ वर्ग में भी खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का प्रवेश शुल्क निःशुल्क रखा गया था, ताकि अधिक से अधिक खिलाड़ी इसमें शामिल हो सकें। प्रतियोगिता का शुभारंभ 14 अगस्त शाम 5.30 बजे हुआ और समापन 16 अगस्त रात 8 बजे हुआ। विभिन्न चरणों में जनप्रतिनिधियों और गणमान्य अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। फाइनल मुकाबले में पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं सरगुजा महाराजा टीएस सिंहदेव समेत अन्य अतिथि मौजूद रहे। प्रतियोगिता का आयोजन आकाशवाणी चौक स्थित न्यू बैडमिंटन हॉल, अंबिकापुर में किया गया।

CMYK

भाग-1

35.78 लाख के फसल बीमा प्रकरण की पूरी कहानी ऐसे हुआ खुलासा, जांच, FIR और कार्रवाई!

- वर्ष 2019–20 में 35.78 लाख रुपये का फसल बीमा भुगतान घोटाला उजागर
- पूर्व में गठित विस्तृत जांच समिति ने एक-एक दस्तावेज, साक्ष्य और वित्तीय अनियमितता की की पुष्टि
- जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी पाए गए 04 कर्मचारियों पर गिरी गाज
- एफआईआर दर्ज, विभागीय जांच हुई शुरू
- सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई, बैंक से निष्कासन
- आरोपियों ने पूछताछ में कई अनियमितताओं को स्वीकार करने की बात कबूली

क्या हुआ था?

- जांच बैठकें: 23.03.2023, 28.03.2023, 05.06.2023
- उपरांत: आरोप प्रमाणित, सहायक लेखपाल को नोटिस
- 05.06.2023: अंतिम सुनवाई, आरोप सिद्ध
- एआईआर: 16.06.2023, धारा 55(2) छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत
- कार्रवाई: सेवा समाप्ति, बैंक से बर्खास्तगी

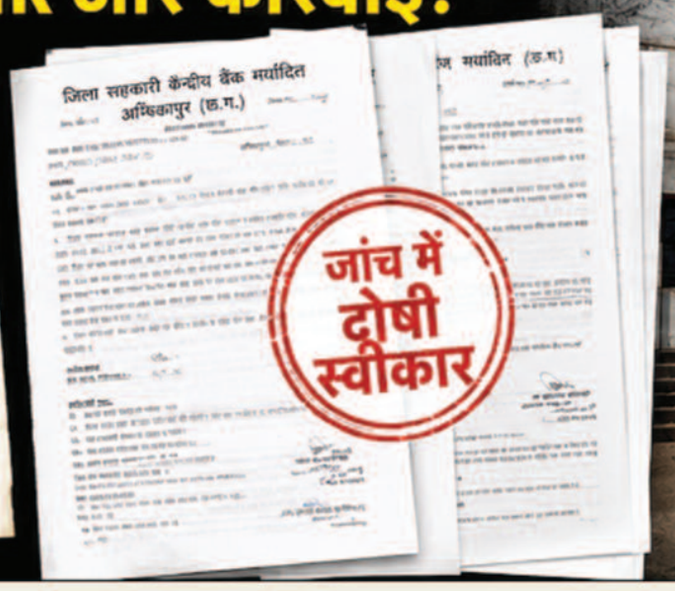

जांच में दोषी, एफआईआर और सेवा समाप्ति के बाद फिर क्यों खुला फसल बीमा घोटाले का पिटारा?

35.78 लाख के फसल बीमा घोटाले के आरोपियों की 'री-एंट्री' की तैयारी! पुराने दोषियों के लिए नई जांच का खेल?

जिस जांच में दोषी पाए गए,उसी मामले में फिर जांच क्यों? फसल बीमा प्रकरण में सीईओ की कवायद पर सवाल

5 जून 2023 की कार्रवाई के बाद 23 जनवरी 2026 का आदेश,अब नई जांच से किसकी राह आसान होगी?

फसल बीमा घोटाले में 'री-एंट्री' का रास्ता! पहले जांच में दोषी,अब कनिष्ठ अधिकारियों से दोबारा जांच

35.78 लाख के खेल में जांच पर जांच! पुराने दोषियों की वापसी की कवायद ने बढ़ाया रहस्य...

पहले जिला प्रशासन की जांच, फिर बैंक की कार्रवाई...अब दोबारा जांच क्यों? फसल बीमा प्रकरण में उठे बड़े सवाल

ओंकार पाण्डेय

सूरजपुर,17 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से जुड़े करीब 35.78 लाख रुपये के फसल बीमा प्रकरण में एक बार फिर ऐसी गतिविधियां सामने आने की जानकारी है,जिसने पूरे मामले को नए सवालों के घेरे में ला दिया है,मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि यह कोई ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें पहली बार जांच शुरू हो रही हो, उपलब्ध दस्तावेजों में जिला प्रशासन की जांच,बैंक की विभागीय कार्रवाई,पुलिस में एफआईआर, निलंबन और अंततः सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई दर्ज है, इसके बाद मामला सहकारी न्यायिक प्रक्रिया में गया और 23 जनवरी 2026 को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर के समक्ष आदेश भी पारित हुआ,अब इसी पूरे घटनाक्रम के बीच कथित तौर पर एक नई जांच टीम गठित किए जाने की चर्चा है। दैनिक घटती-घटना को विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीकांत चंद्राकर के स्तर से पुराने प्रकरण की दोबारा जांच कराने की तैयारी की गई है,सूत्रों का दावा है कि भैयाथान शाखा के शाखा प्रबंधक तथा सूरजपुर शाखा के शाखा प्रबंधक को इसकी जिम्मेदारी दी गई है,यह भी कहा जा रहा है कि प्रक्रिया को गोपनीय रखने और ऐसी रिपोर्ट तैयार कराने के निर्देश दिए गए हैं,जिससे सेवा से पृथक कर्मचारियों के पक्ष में रास्ता खुल सके,इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और बैंक प्रबंधन की आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है,दस्तावेजों में दर्ज घटनाक्रम और नई कवायद को साथ रखने पर मूल सवाल यही है की जब जांच, एफआईआर और विभागीय कार्रवाई पहले ही हो चुकी है, तो दोबारा जांच की जरूरत क्यों पड़ी?

मामला क्या है और 35.78 लाख रुपये का सवाल कहां से आया?

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2019-20 में भैयाथान शाखा के अंतर्गत किसानों की फसल बीमा राशि के कथित फर्जी आहरण का मामला सामने आया, इसी मामले में जिला सूरजपुर प्रशासन द्वारा गठित जांच दल ने करीब 35.78 लाख रुपये की राशि से संबंधित अनियमितता का उल्लेख किया,उपलब्ध बैंक आदेश में यह भी दर्ज है कि जांच दल ने चार कर्मचारियों को इस राशि से जुड़ी अनियमितता के लिए दोषी पाया था,इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण आधार 'जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर,आदेश क्रमांक/स्थापना/2023-24/383, दिनांक 05.06.2023 है, इस आदेश में तत्कालीन शाखा प्रबंधक जगदीश प्रसाद कुशवाहा, लिपिक सूबेदार सिंह, संस्था प्रबंधक राम कुमार सिंह तथा भृत्य सुनील यादव के विरुद्ध की गई कार्रवाई का उल्लेख है,आदेश में कहा गया है कि जिला कलेक्टर द्वारा गठित जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कर्मचारियों को निलंबित किया गया तथा थाना झिलमिली में एफआईआर दर्ज कराई गई, पुलिस प्रकरण में धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी, उपलब्ध समाचार सामग्री में थाना झिलमिली के अपराध क्रमांक 117/21 तथा संबंधित धाराओं का उल्लेख किया गया है, इसी समाचार सामग्री के अनुसार दो आरोपियों में सूबेदार सिंह और सुनील यादव की गिरफ्तारी हुई थी, जबकि तत्कालीन शाखा प्रबंधक जगदीश प्रसाद कुशवाहा के फरार होने की जानकारी सामने आई थी,बाद में पुलिस द्वारा कुशवाहा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किए जाने और जेल भेजे जाने की खबर भी प्रकाशित हुई थी।

दस्तावेज नंबर 1 : 5 जून 2023 का बैंक आदेश क्रमांक 383

इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर, क्र./स्थापना/2023-24/383, दिनांक 05.06.2023 आदेश है, इस आदेश में वर्ष 2019-20 के फसल बीमा राशि के फर्जी आहरण से संबंधित जांच का हवाला देते हुए कहा गया है कि कलेक्टर, जिला सूरजपुर द्वारा गठित जांच दल की रिपोर्ट में 35.78 लाख रुपये की राशि के लिए चार कर्मचारियों को दोषी पाया गया था, आदेश में यह भी दर्ज है कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक जगदीश प्रसाद कुशवाहा, लिपिक सूबेदार सिंह,संस्था प्रबंधक राम कुमार सिंह और भृत्य सुनील यादव को निलंबित किया गया,इनके विरुद्ध थाना झिलमिली में एफआईआर दर्ज कराई गई, आदेश के अनुसार संबंधित राशि के संबंध में अंतिम सुनवाई की प्रक्रिया भी की गई,दस्तावेज के अनुसार जगदीश प्रसाद कुशवाहा को अंतिम सुनवाई का अवसर दिया गया था, आदेश में यह भी दर्ज है कि निर्धारित समय दिए जाने के बावजूद राशि जमा नहीं की गई,इसके बाद अधिकृत अधिकारी की बैठक दिनांक 05.06.2023 में जांच प्रतिवेदन के आधार पर सेवा से पृथक करने का निर्णय लिया गया, आदेश के अनुसार कुशवाहा की सेवाएं 05.06.2023 से समाप्त की गई तथा गबन राशि की वसूली के लिए पृथक वैधानिक कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई, यानी उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह केवल आरोप लगाए जाने का प्रारंभिक चरण नहीं था, जांच प्रतिवेदन, बैंक का विभागीय आदेश और पुलिस कार्रवाई–तीनों स्तर पर मामला आगे बढ़ चुका था,यही कारण है कि अब प्रस्तावित नई जांच को लेकर सवाल और गंभीर हो जाते हैं।

दस्तावेज नंबर 2 : जिला कलेक्टर सूरजपुर की जांच और जांच दल

उपलब्ध रिकॉर्ड में कार्यालय कलेक्टर, जिला सूरजपुर (छत्तीसगढ़) की ओर से जांच दल गठित किए जाने संबंधी पत्र भी है, इसमें 2019-20 के फसल बीमा प्रकरण में किसानों के खातों में जमा फसल बीमा राशि के कथित अनियमित आहरण की जांच के लिए अधिकारियों की टीम बनाए जाने का उल्लेख है, दस्तावेज में जांच दल से शिकायत की जांच कर निर्धारित अवधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया था,इस दस्तावेज का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बाद के बैंक आदेश में इसी जांच दल की रिपोर्ट को कार्रवाई का आधार बनाया गया है, यानी 5 जून 2023 का बैंक आदेश किसी अनाम या मौखिक शिकायत के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच दल की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए जारी किया गया था।

दस्तावेज नंबर 3 : न्यायालय संयुक्त पंजीयक का प्रकरण क्रमांक 17/55(2)/2023

इस प्रकरण का अगला महत्वपूर्ण दस्तावेज है, न्यायालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर प्रकरण क्रमांक 17/55(2)/2023, उपलब्ध आदेश में वादी के रूप में जगदीश प्रसाद कुशवाहा तथा प्रतिवादी के रूप में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर शाखा,जिला सरगुजा का उल्लेख है, इस प्रकरण में 5 जून 2023 के सेवा समाप्ति आदेश को चुनौती दी गई, आदेश के रिकॉर्ड में सुनवाई की विभिन्न तिथियों,दस्तावेजों,साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों का उल्लेख है,यह तथ्य अपने आप में महत्वपूर्ण है कि सेवा समाप्ति के बाद मामला सहकारी न्यायिक प्रक्रिया में भी पहुंचा और वहां दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई हुई,यही वह बिंदु है जहां नई जांच की कथित कवायद सबसे अधिक सवाल खड़े करती है, यदि न्यायालयीन आदेश का पालन करते हुए कर्मचारी को उचित अवसर देना है,तो बैंक को यह स्पष्ट करना होगा कि उसके लिए नई तथ्यात्मक जांच क्यों जरूरी है,क्या कोई नया तथ्य सामने आया है? क्या पुरानी जांच में कोई गंभीर प्रक्रियागत त्रुटि पाई गई है? या केवल बचाव का अवसर देने के नाम पर पुराने निष्कर्षों की दोबारा समीक्षा की जा रही है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बैंक प्रबंधन को दस्तावेजों के साथ देना चाहिए।

'हमसे बड़े अधिकारियों ने जांच की है'-फिर कनिष्ठ अधिकारियों से जांच क्यों?

विभागीय सूत्रों का दावा है कि प्रस्तावित जांच से जुड़े अधिकारियों में भी इस बात को लेकर असहजता है कि जिस प्रकरण की जांच पहले ही वरिष्ठ/सक्षम स्तर के अधिकारियों द्वारा की जा चुकी है, उसी मामले की दोबारा जांच उनसे कराई जा रही है,सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस प्रकरण में पहले ही जांच हो चुकी है और वे पूर्व जांच से नीचे के स्तर पर हैं,इसलिए दोबारा जांच की भूमिका स्पष्ट नहीं है,इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है,यदि यह बात सही है तो यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि क्या कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों की नई रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में गठित उच्च स्तरीय जांच के निष्कर्षों को बदला जा सकता है? यदि पूर्व जांच में कोई गंभीर त्रुटि थी तो उस जांच को गलत ठहराने के लिए विधिवत आदेश, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति और स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए, केवल एक नई समिति गठित कर देने से पहले की जांच स्वतः गलत नहीं हो जाती।

दस्तावेज नंबर 4 : 23 जनवरी 2026 का संयुक्त पंजीयक आदेश

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ताजा और महत्वपूर्ण दस्तावेज 'कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर क्र./संपर./विधि/2026/51, दिनांक 23.01.2026, प्रकरण क्रमांक 17/55(2)/2023' है, यह प्रकरण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 55(2) के तहत प्रस्तुत किया गया था, इस आदेश में जगदीश प्रसाद कुशवाहा द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर के आदेश क्रमांक/स्थापना/2023-24/383,दिनांक 05.06.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत मामले का उल्लेख है, आदेश के अनुसार मामले में दोनों पक्षों को सुनवाई के अवसर दिए गए, दस्तावेजों और तर्कों का परीक्षण किया गया तथा पूर्व कार्यवाही से जुड़े बिंदुओं पर विचार किया गया, आदेश के अंतिम हिस्से में यह उल्लेख है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी सेवा नियम 1982 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कर्मचारी को अपने बचाव का समुचित एवं पर्याप्त अवसर देकर विधिवत कार्रवाई की जा सकती है, दोनों पक्षों को अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करने की बात भी आदेश में दर्ज है, यहां एक महत्वपूर्ण सावधानी जरूरी है, उपलब्ध 23 जनवरी 2026 के आदेश को सीधे-सीधे 'बहाली का आदेश' मानना सही नहीं होगा, इसमें विधिवत प्रक्रिया और कर्मचारी को बचाव का अवसर देने की बात है,इसलिए बैंक को स्पष्ट करना होगा कि नई कार्रवाई 23 जनवरी 2026 के आदेश के किस निर्देश के अनुपालन में की जा रही है, यहीं से अब नई कवायद को लेकर सवाल उठ रहे हैं, यदि 23 जनवरी 2026 के आदेश के अनुपालन के लिए नई जांच आवश्यक थी तो बैंक को जांच का कानूनी आधार, दायरा, संदर्भ और उद्देश्य सार्वजनिक करना चाहिए,केवल आदेश का हवाला देकर किसी नई समिति से पूर्व जांच के निष्कर्षों को बदलने की कोशिश की जा रही है या नहीं, यह स्पष्ट होना चाहिए।

क्या नई जांच सिर्फ प्रक्रिया है या 'री-एंट्री' का रास्ता?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई जांच का वास्तविक उद्देश्य क्या है,क्या यह केवल कर्मचारी को उसका वैधानिक बचाव का अवसर देने के लिए है, या फिर पूर्व में सेवा से पृथक किए गए कर्मचारी की वापसी का रास्ता तैयार करने के लिए? दोनों परिस्थितियों में प्रक्रिया अलग होगी और बैंक को इसका स्पष्ट आधार बताना चाहिए, सूत्रों का दावा है कि नई टीम को ऐसी रिपोर्ट देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है जिससे संबंधित कर्मचारियों के पक्ष में रास्ता खुल सके और उन्हें दोबारा बैंक सेवा में प्रवेश मिल सके, कुछ सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि जांच की जानकारी बाहर न जाने देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है,इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और दैनिक घटती-घटना इन्हें तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करता,लेकिन यदि ऐसी कोई जांच वास्तव में गठित की गई है तो बैंक प्रबंधन को जांच आदेश सार्वजनिक करना चाहिए,जांच टीम में शामिल अधिकारियों के नाम,जांच का संदर्भ, जांच के प्रश्न,दस्तावेजों का आधार,समयसीमा और यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्या नई जांच 5 जून 2023 के आदेश क्रमांक 383 तथा 23 जनवरी 2026 के प्रकरण क्रमांक 17/55(2)/2023 के संदर्भ में है। इससे यह भी स्पष्ट होगा कि नई जांच पुरानी जांच को निरस्त करने के लिए है या केवल प्रक्रिया पूरी करने के लिए।

जांच, एफआईआर और कार्रवाई के बाद अब फिर सवाल क्यों?

जब 35.78 लाख रुपये के फसल बीमा प्रकरण में पहले ही विस्तृत जांच समिति गठित की गई थी और जांच के दौरान एक-एक साक्ष्य, दस्तावेज और वित्तीय अनियमितता को जांच प्रतिवेदन में दर्ज किया गया था,तभी मामला एफआईआर तक पहुंचा और आरोपित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की स्थिति बनी,यदि उस समय संबंधित लोगों को लगता था कि वे दोषी नहीं हैं अथवा जांच में उनके साथ अन्याय हुआ है,तो उन्हें उसी समय अपनी बेगुनाही के पक्ष में सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने और जांच के निष्कर्षों को चुनौती देने का पूरा अवसर था,अब सवाल यह है कि वर्षों बाद अचानक ऐसी कौन-सी नई परिस्थिति या नया साक्ष्य सामने आ गया है,जिसके आधार पर पहले से जांचे और कार्रवाई किए जा चुके प्रकरण को फिर से जांच के लिए खोला जा रहा है? क्या पूर्व जांच रिपोर्ट में कोई गंभीर त्रुटि साबित हुई है? क्या उस जांच को सक्षम प्राधिकारी ने निरस्त किया है? या फिर संबंधित आरोपितों को न्यायालय ने इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है? यदि न्यायालय ने दोषमुक्त नहीं किया है और पूर्व जांच रिपोर्ट को भी विधिवत निरस्त नहीं किया गया है, तो फिर नई जांच का औचित्य क्या है? क्या केवल दोबारा जांच कर लेने से पहले की जांच में दर्ज निष्कर्ष और जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? सबसे अहम सवाल यही है कि जिस समय एफआईआर हुई,विभागीय कार्रवाई हुई और सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई पहुंची,उस समय अपनी बेगुनाही साबित करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? अब यदि नई जांच हो रही है,तो बैंक प्रबंधन को स्पष्ट करना चाहिए कि नई जांच का आधार क्या है,नया साक्ष्य क्या है और क्या किसी न्यायालय ने संबंधित आरोपितों को इस प्रकरण में दोषमुक्त किया है? वरना यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि कहीं पुरानी जांच के निष्कर्षों को बदलकर फिर से 'री-एंट्री' का रास्ता तो तैयार नहीं किया जा रहा?

क्या पुरानी जांच को नई रिपोर्ट से बदला जा सकता है?

यदि किसी जांच के आधार पर विभागीय कार्रवाई हुई और बाद में उसमें कमी पाई गई,तो उस कमी को सक्षम प्राधिकारी के आदेश से स्पष्ट किया जाना चाहिए। केवल नई समिति बनाकर पुराने निष्कर्षों के विपरीत रिपोर्ट आने से पहले की कार्रवाई अपने आप समाप्त नहीं हो जाती,नई जांच में पुराने निष्कर्ष सही पाए जाएं तो उन्हें बरकरार रखना होगा। यदि नए दस्तावेज से अलग तथ्य सामने आते हैं तो उसका स्रोत और प्रमाण रिकॉर्ड पर होना चाहिए,और यदि पुरानी जांच प्रक्रियागत रूप से त्रुटिपूर्ण थी तो उस त्रुटि की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।

भाग-2 में पढ़िएः नई जांच की कथित कवायद के पीछे क्या है?

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर की भूमिका पर उठते सवाल, भैयाथान और सूरजपुर शाखा प्रबंधकों को जांच की जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा,रिपोर्ट को लेकर लगाए जा रहे गंभीर आरोप, 35.78 लाख रुपये की राशि और किसानों के हित से जुड़े सवाल तथा यह बड़ा प्रश्न कि क्या नई जांच वास्तव में न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी करने तक सीमित है या पुराने मामले में आरोपित कर्मचारियों की 'री-एंट्री' का रास्ता तैयार कर रही है।

पदोन्नति को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा...शिक्षकों ने बिना अनुमति B.Ed. की डिग्री हासिल की,वरिष्ठता सूची में भी शामिल करा लिया नाम

-संवाददाता-
कोरबा,17 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

पदोन्नति में टीईटी और बीएड की अनिवार्यता के बीच कोरबा जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ शिक्षकों ने सेवा में रहते हुए विभागीय अनुमति के बिना नियमित बी.एड की डिग्री हासिल की और उसी के आधार पर पदोन्नति की प्रक्रिया में लाभ लेने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला कोरबा के महासचिव ओमप्रकाश बघेल ने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। बघेल ने संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा जारी कार्योत्तर अनुमति आदेश के निरस्त होने और बी.एड अंकसूची का हवाला देते हुए कहा है कि आधा दर्जन शिक्षकों के प्रकरण संदेह के घेरे में हैं। आरोप है कि इन शिक्षकों ने पहले बी.एड कर ली,बाद में यह कोर्स करने की कार्योत्तर अनुमति के लिए DEO कार्यालय में आवेदन दिया। जिसके आधार पर जेडी कार्यालय बिलासपुर से अनुमति आदेश जारी हुए, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही इस आदेश को निरस्त कर दिया गया। बघेल ने कहा कि अनुमति यदि नियम सम्मत नहीं थी तो दस्तावेजों और आवेदन की सत्यता की जांच जरूरी है।

उपस्थिति और परीक्षा रिकॉर्ड के मिलान की मांग : बघेल ने मांग की है कि संबंधित शिक्षकों की बी.एड डिग्री और अंकसूची का मिलान संबंधित विश्वविद्यालय से कराया जाए। साथ ही सेवा अवधि की उपस्थिति पंजी, अवकाश अभिलेख और वेतन आहरण विवरण की जांच की जाए। इसके अलावा विभागीय

अनुमति के दस्तावेज और विश्वविद्यालय की परीक्षा समय-सारणी तथा उपस्थिति रिकॉर्ड का भी मिलान किया जाए।

नौकरी में रहते कोर्स करने के क्या हैं नियम? सरकारी सेवा में रहने के दौरान अगर कोई कोर्स करना हो तो विभाग से इसकी अनुमति लेनी पड़ती है। अगर नियमित कोर्स है तो संबंधित को उसकी पढ़ाई के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है। ताजा मामले में जिन शिक्षकों ने बीएड की डिग्री जमा की है उस कोर्स के लिए उन्होंने विभागीय अनुमति कोर्स करने के बाद मांगी। इस पर संयुक्त संचालक जेडी बिलासपुर ने अनुमति भी दे दी मगर इन शिक्षकों की चालाकी उजागर होने पर अनुमति रद्द कर दी गई।

वरिष्ठता सूची में बी.एड दर्ज होने पर सवाल : बघेल ने बताया कि कार्योत्तर अनुमति निरस्त होने के बावजूद 01 अप्रैल 2026 की प्राविधिक वरिष्ठता सूची में कुछ शिक्षकों की योग्यता में बी.एड दर्ज है। उन्होंने सवाल उठाया कि अनुमति निरस्त होने के बाद बी.एड योग्यता को सूची में किस आधार पर शामिल किया गया।

क्या मांग की गई है? ओमप्रकाश बघेल ने मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, सचिव और संचालक, लोक शिक्षण से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच हो। जांच पूरी होने तक विवादित योग्यता के आधार पर पदोन्नति लाभ न दिया जाए,गलत जानकारी के आधार पर नाम शामिल करने वालों की जिम्मेदारी तय हो। प्रक्रिया में पक्षपात और भाई-भतीजावाद की संभावना खत्म कर दस्तावेज सार्वजनिक जांच में लाए जाएं। उन्होंने कहा कि पदोन्नति कर्मचारियों का अधिकार है और यह पूरी तरह नियमसम्मत और समान अवसर पर आधारित होनी चाहिए। शिकायतकर्ता ने संबंधित शिक्षकों द्वारा जमा बालाघाट की सरदार पटेल की डिग्री पर भी संदेह जताया है। उन्होंने बताया कि बीएड की डिग्री में नियमित पढ़ाई का उल्लेख है, जबकि संबंधित शिक्षक उसी दौरान नियमित तौर पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे।

शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र का बड़ा खुलासा

जमीन तीन की, धान की पात्रता तीनों की, फिर 136 क्विंटल की बिक्री एक के नाम क्यों?

3.13 हेक्टेयर भूमि में हदीश, साधना और रिजवान के बराबर हिस्से, लेकिन बिक्री सिर्फ साधना के नाम

कुल भूमि एवं धान विवरण	
कुल रकबा	3.13 हेक्टेयर
धान का रकबा	2.63 हेक्टेयर
धान विक्रय की पात्रता	136 क्विंटल
धान विक्रय किया गया	136 क्विंटल

साधना कुशवाहा

कुल भूमि 1.04 हेक्टेयर
धान का रकबा 0.88 हेक्टेयर
धान विक्रय कृत्रि 45.20 क्विंटल

हदीश अंसारी

कुल भूमि 1.04 हेक्टेयर
धान का रकबा 0.88 हेक्टेयर
धान विक्रय कृत्रि 45.20 क्विंटल

रिजवान अंसारी

कुल भूमि 1.04 हेक्टेयर
धान का रकबा 0.88 हेक्टेयर
धान विक्रय कृत्रि 45.20 क्विंटल

उठ रहे बड़े सवाल

- क्या आयकर विभाग कों गुमराह कर सामूहिक भूमि खरीदी कर धान बिक्री एक नाम से की गई?
- क्या दूसरे के हिस्से के धान की बिक्री कर राशि एक खाते में ली गई?
- क्या आयकर विभाग की कार्रवाई से बचने की यह साजिश?
- समिति प्रबंधक और खरीदी प्रभारी की जमीन में साझेदारी हितों के टकराव का मामला?
- तीनों के अलग-अलग खाते क्यों नहीं?
- पैसा एक खाते में ही क्यों?

जमीन तीन की,धान एक के खाते में...! शिवप्रसादनगर में 136 क्विंटल का ऐसा गणित,जिसे समझने में सहकारिता भी उलझ गई

3.13 हेक्टेयर जमीन में तीन हिस्सेदार,136 क्विंटल धान की बिक्री एक खाते में...शिवप्रसादनगर में किस नियम का गणित?

-ओंकार पाण्डेय-
सूरजपुर/भैयाथान,17 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले के भैयाथान क्षेत्र की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति शिवप्रसादनगर में धान खरीदी का गणित अब इतना दिलचस्प हो गया है कि कैलकुलेटर भी शायद पहले यह पूछे कि जमीन किसकी है और धान किसका! उपलब्ध दस्तावेजों और किसान सूचना पोर्टल से सामने आए आंकड़ों को साथ रखकर देखें तो मामला केवल जमीन खरीद का नहीं रह जाता, बल्कि भूमि हिस्सेदारी, फसल पात्रता,धान बिक्री और भुगतान की दिशा तक पहुंच जाता है। मामले में उपलब्ध जानकारी के अनुसार हदीस अंसारी, साधना कुशवाहा और रिजवान अंसारी के नाम से कुल लगभग 3.13 हेक्टेयर यानी करीब 7.7 एकड़ भूमि दर्ज है,इसमें धान का रकबा करीब 2.63 हेक्टेयर बताया गया है और कुल धान विक्रय पात्रता 136 क्विंटल है, रिकॉर्ड के अनुसार 136 क्विंटल धान का विक्रय भी किया गया,कागज का गणित यहां तक बिल्कुल साफ है, तीन हिस्सेदार,कुल जमीन एक,धान की पात्रता 136 क्विंटल, उलझन वहां शुरू होती है जहां बिक्री का नाम सामने आता है,पहली नजर में यह सामान्य कृषि रिकॉर्ड जैसा दिखाई दे सकता है, आखिर संयुक्त जमीन खरीदना कोई अपराध नहीं और सह-खातेदार होना भी अपने आप में कोई गुनाह नहीं, मगर जब हिस्सेदारी अलग-अलग हो,पात्रता अलग-अलग बने और धान की बिक्री एक ही नाम से होने की बात सामने आए,तब सहकारिता के गणित में एक नया अध्याय खुलता है, जमीन तीन की,धान एक का कैसे? सबसे बड़ा सवाल यही है की जब जमीन में तीन लोगों का हिस्सा है,तो धान की बिक्री और उसका भुगतान किसके नाम हुआ और क्यों?

3.13 हेक्टेयर जमीन, तीन हिस्से और प्रत्येक का लगभग 1.04 हेक्टेयर हिस्सा

उपलब्ध विवरण के अनुसार कुल 3.13 हेक्टेयर भूमि में तीनों का हिस्सा लगभग बराबर बताया गया है, प्रत्येक के हिस्से में लगभग 1.04 हेक्टेयर भूमि आती है,इसी अनुपात में प्रत्येक के हिस्से का धान रकबा लगभग 0.88 हेक्टेयर तथा धान विक्रय पात्रता 45.20 क्विंटल बताई गई है,यानी कागज पर तीनों के हिस्से बराबर–जैसे सहकारिता ने गणित की किताब खोलकर बराबर-बराबर बांट दिया हो,इस हिसाब से कागज पर गणित बिल्कुल सीधा है, साधना कुशवाहा का हिस्सा–लगभग 1.04 हेक्टेयर भूमि,0.88 हेक्टेयर धान रकबा और 45.20 क्विंटल पात्रता, हदीस अंसारी का हिस्सा–लगभग 1.04 हेक्टेयर भूमि, 0.88 हेक्टेयर धान रकबा और 45.20 क्विंटल पात्रता, रिजवान अंसारी का हिस्सा–लगभग 1.04 हेक्टेयर भूमि,0.88 हेक्टेयर धान रकबा और 45.20 क्विंटल पात्रता, तीनों की पात्रता जोड़ने पर कुल आंकड़ा लगभग 135.60 क्विंटल,जिसे रिकॉर्ड में 136 क्विंटल के आसपास माना गया है,कागज का हिसाब इतना साफ है कि जोड़ने वाला भी खुश हो जाए,लेकिन कहानी का असली मोड़ अब शुरू होता है।

जमीन तीन की, धान एक के खाते में क्यों?

सहकारिता का यह नया गणित किस किताब में है?- यदि तीनों व्यक्ति जमीन के सह-खातेदार हैं और प्रत्येक के हिस्से की धान पात्रता अलग-अलग बनती है, तो सामान्य सवाल यह है कि धान की बिक्री भी संबंधित खातेदारों के नाम से क्यों नहीं हुई? आखिर सरकारी व्यवस्था में हिसाब-किताब का इतना महत्व है कि एक बोरा कम-ज्यादा होने पर रजिस्टर तक जाग जाता है,फिर तीन हिस्सों की पात्रता एक नाम पर पहुंच जाए तो रजिस्टर को नींद क्यों आ गई–यह जांच का विषय है,उपलब्ध जानकारी के अनुसार धान की बिक्री साधना कुशवाहा के नाम से हुई और भुगतान भी उसी खाते में जाने की बात सामने आ रही है,यदि यह तथ्य रिकॉर्ड से प्रमाणित होता है तो सवाल बेहद सीधा है की क्या पूरी 3.13 हेक्टेयर जमीन पर उत्पादित धान को अकेले साधना कुशवाहा के नाम बेचने की अनुमति थी? यदि अनुमति थी तो उसका आधार क्या था? क्योंकि सरकारी दफ्तरों में मौखिक अनुमति की उम्र आमतौर पर उतनी ही होती है जितनी चाय के कप में गर्मी की–फाइल में कुछ देर बाद सबूत चाहिए, क्या हदीस अंसारी और रिजवान अंसारी ने अपने हिस्से का धान साधना कुशवाहा को बेचने अथवा उसके नाम से बेचने के लिए अधिकृत किया था? क्या इसका कोई लिखित प्राधिकरण है? क्या खरीदी केंद्र के रिकॉर्ड में तीनों सह-खातेदारों की सहमति दर्ज है? और सबसे महत्वपूर्ण है की यदि धान तीनों का था तो भुगतान भी तीनों को अलग-अलग क्यों नहीं किया गया?

क्या दूसरे हिस्सेदार की फसल तीसरे व्यक्ति के खाते में बेची गई? खेत से खाते तक जांच जरूरी

यह सवाल इस पूरे प्रकरण का सबसे संवेदनशील हिस्सा है,और यहीं व्यंग्य की असली धार भी है, खेत में तीन हिस्से, कागज पर तीन पात्रताएं और यदि खाते में एक भुगतान निकला तो फिर हिसाब-किताब का पूरा पेड़ उल्टा खड़ा दिखाई देगा, यदि जमीन में तीन सह-खातेदार हैं और प्रत्येक के हिस्से में धान उत्पादन की पात्रता अलग-अलग निर्धारित है,तो यह देखना जरूरी होगा कि किस हिस्से में वास्तव में धान की फसल खड़ी थी, क्या तीनों हिस्सों में धान बोया गया था? क्या डीसीएस द्वारा तीनों हिस्सों का भौतिक सत्यापन किया गया? क्या फसल सत्यापन के समय तीनों हिस्सों की अलग-अलग जांच हुई? क्या खरीदी केंद्र के रिकॉर्ड में तीनों की पात्रता अलग-अलग दर्ज थी? और यदि पात्रता अलग थी तो धान एक ही नाम से क्यों बेचा गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि भूमि रिकॉर्ड में तीन नाम और धान खरीदी रिकॉर्ड में एक नाम होने के पीछे कोई अलग व्यवस्था बनाई गई हो? यह फिलहाल सवाल है, निष्कर्ष नहीं।

यह गणित समझना जरूरी है की जमीन सामूहिक, पात्रता अलग-अलग, बिक्री एक नाम से-

मामले का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि भूमि को सामूहिक रूप से खरीदा गया बताया जा रहा है, लेकिन धान विक्रय पात्रता हिस्से के अनुसार अलग-अलग बनती है और बिक्री एक ही नाम से होने का सवाल सामने आ रहा है, यानी जमीन खरीदते समय तीन हिस्सेदार, पात्रता बनाते समय तीन हिस्से और बिक्री के समय एक नाम, यह कौन-सा नया सहकारी सूत्र है, इसका पाठ्यक्रम अभी तक विभाग ने जारी नहीं किया है, यानी जमीन का गणित कुछ और, धान की पात्रता का गणित कुछ और और भुगतान का रास्ता तीसरा, किसान के लिए नियमों की पूरी किताब, और यहां एक ही नाम में पूरा अध्याय यही विरोधाभास जांच की मांग करता है, यहीं से सवाल उठता है कि आखिर यह व्यवस्था किस नियम के तहत चली? यदि तीनों अलग-अलग व्यक्ति हैं, अलग-अलग परिवारों से हैं और उनके हिस्से भूमि रिकॉर्ड में अलग-अलग दर्ज हैं, तो भूमि को सामूहिक रूप से खरीदने का निर्णय क्यों लिया गया? यह किसी भी व्यक्ति का निजी अधिकार हो सकता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर जमीन खरीदे, लेकिन जब उसी भूमि पर धान खरीदी व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों की भूमिका भी सामने आती है, तब हितों के टकराव की संभावना की जांच आवश्यक हो जाती है।

क्या हदीस के खाते पर कार्रवाई के कारण साधना के खाते का इस्तेमाल हुआ?

सवाल बड़ा है, जवाब बैंक देगा- मामले में एक और गंभीर सवाल तब खड़ा होता है जब हदीस अंसारी के बैंक खातों पर आयकर विभाग की कार्रवाई और लेनदेन प्रतिबंधित होने संबंधी दावे को इस जमीन और धान बिक्री के रिकॉर्ड के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, अखबार किस की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यदि ऐसा प्रतिबंध वास्तव में मौजूद था और उसी अवधि में हदीस के हिस्से की फसल किसी अन्य सह-खातेदार के नाम बेची गई, तो वित्तीय जांच का सवाल स्वाभाविक रूप से उठेगा, तब जांच का विषय होगा, क्या हदीस के हिस्से का धान वास्तव में साधना के नाम बेचा गया? यदि हां, तो इसकी अनुमति किसने दी? धान की बिक्री के बाद प्राप्त राशि का वास्तविक लाभार्थी कौन रहा? क्या राशि साधना के खाते में आई और बाद में हदीस को दी गई? या यह केवल रिकॉर्ड में एक नाम से बिक्री थी जबकि भुगतान और वास्तविक लेनदेन अलग था? इन सवालों का जवाब बैंक स्टेटमेंट और धान खरीदी भुगतान रिकॉर्ड से आसानी से मिल सकता है।

धान कारोबार से जुड़े व्यक्ति,समिति प्रभारी और खरीदी प्रभारी की साझेदारी–क्यों?

इस मामले को और गंभीर बनाने वाली बात यह है कि उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार मोहम्मद सोहराब शिवप्रसादनगर समिति के समिति प्रभारी, जबकि साधना कुशवाहा शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र की प्रभारी और रिजवान अंसारी सवरवां धान खरीदी केंद्र के प्रभारी बताए जाते हैं, दूसरी ओर हदीस अंसारी को क्षेत्र में धान कारोबार से प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में बताया जा रहा है, यहां हदीस अंसारी धान माफिया के तौर पर प्रशिद्ध है, लगाए जा रहे आरोपों/स्थानीय चर्चा के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए, दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि समिति प्रबंधन या धान खरीदी व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों ने उसी व्यक्ति के साथ करोड़ों की भूमि में साझेदारी की है जिसके धान कारोबार को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं,तो यह हितों के टकराव की जांच का पर्याप्त आधार हो सकता है,यहां फिर सवाल जमीन खरीदने के अधिकार पर नहीं है,सवाल यह है कि धान खरीदी व्यवस्था में जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति उसी क्षेत्र के धान कारोबार से जुड़े व्यक्ति के साथ जमीन में साझेदार क्यों बने? क्या विभाग को इसकी जानकारी थी? क्या किसी अधिकारी ने इस संबंध में कोई आपत्ति दर्ज की? क्या संबंधित व्यक्तियों से हितों के टकराव को लेकर स्पष्टीकरण लिया गया?

समिति प्रबंधक की भूमिका भी जांच के दायरे में क्यों नहीं आए?

यदि समिति प्रबंधक और धान खरीदी प्रभारी से जुड़े लोग उसी भूमि के सह-खातेदार हैं जिस पर धान खरीदी की पात्रता बनी और धान बिक्री हुई, तो समिति स्तर पर इस पूरे रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, समिति के पास किसान पंजीयन,खरीदी रजिस्टर, फसल सत्यापन,स्टॉक,परिवहन और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड होते हैं,इसलिए जांच केवल यह देखने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए कि धान खरीदा गया या नहीं, जांच यह भी होनी चाहिए कि फसल किसने बोई? जमीन कब खरीदी गई? नामांतरण कब हुआ? फसल पंजीयन कब हुआ? पात्रता किस आधार पर बनी? भौतिक सत्यापन किसने किया? धान किसके नाम बेचा गया? भुगतान किस खाते में गया? और यदि दूसरे सह-खातेदारों की फसल थी तो उनके हिस्से की रकम कहां गई?

क्या यह सिर्फ सुविधा थी या कोई वित्तीय रणनीति?

यहां कई संभावनाएं हो सकती हैं,लेकिन किसी एक संभावना को तथ्य मानना उचित नहीं होगा,हो सकता है कि सह-खातेदारों ने किसी वैध आपसी सहमति के आधार पर एक व्यक्ति को धान बिक्री के लिए अधिकृत किया हो,यह भी संभव है कि बैंकिंग या किसान पंजीयन की किसी प्रक्रिया के तहत एक नाम से बिक्री की अनुमति मिली हो,लेकिन यदि ऐसा है तो उसका लिखित रिकॉर्ड होना चाहिए,यदि लिखित अनुमति है तो सामने लाई जाए,यदि भुगतान के वितरण का रिकॉर्ड है तो वह भी सामने आए,यदि कोई वैधानिक प्राधिकरण नहीं है तो फिर यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि एक व्यक्ति के नाम पर दूसरे सह-खातेदारों की पात्रता का धान कैसे बेचा गया।

आयकर विभाग की कार्रवाई से जोड़कर देखना जल्दबाजी होगी,लेकिन जांच जरूरी

हदीस अंसारी के खातों पर आयकर विभाग की कार्रवाई और करोड़ों की रिकवरी संबंधी दावे को लेकर भी इस पूरे मामले में सवाल उठाए जा रहे हैं, सूत्रों का दावा है की हदीश के सभी बैंक खाते पर आयकर विभाग ने रोक लगाई है,लेकिन यदि खाते पर वास्तविक रोक है और उसी अवधि में संबंधित व्यक्ति के हिस्से की कृषि उपज किसी अन्य व्यक्ति के खाते में बेची गई,तो वित्तीय लेनदेन की जांच बिल्कुल स्वाभाविक है,क्या यह केवल सुविधा थी या किसी भुगतान प्रतिबंध से बचने का प्रयास? इसका जवाब अनुमान से नहीं, बैंक स्टेटमेंट से निकलेगा।

एक तरफ समिति की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ निजी संपत्ति का सवाल हितों का हिसाब कौन रखेगा?

सहकारी समिति से जुड़े कर्मचारी और पदाधिकारी निजी संपत्ति नहीं खरीद सकते,ऐसा कोई सामान्य निषेध केवल आरोप के आधार पर नहीं माना जा सकता,लेकिन यदि उनके निजी आर्थिक हित उसी कारोबार से जुड़े व्यक्तियों के साथ जुड़े हों जिसकी निगरानी या खरीदी प्रक्रिया में वे स्वयं जिम्मेदार हैं,तो हितों के टकराव और निष्पक्षता का सवाल जरूर उठता है,यही कारण है कि इस मामले में सहकारिता विभाग को केवल समिति का रिकॉर्ड देखकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसे यह देखना चाहिए कि संबंधित कर्मचारियों की भूमिका क्या थी और जमीन की खरीद के समय उनकी आधिकारिक जिम्मेदारी क्या थी।

किसान के लिए नियम और प्रभावशाली लोगों के लिए रास्ता अलग तो नहीं?

आम किसान को धान बेचने के लिए किसान पंजीयन से लेकर फसल सत्यापन तक कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है,यदि कोई दूसरे के नाम से धान बेचना चाहे तो उस पर सवाल खड़े हो सकते हैं,फिर सह-खातेदारों की भूमि पर उत्पादित धान एक ही व्यक्ति के नाम पर बेचने की व्यवस्था किस आधार पर बनी? क्या यह सभी किसानों के लिए लागू है? अगर हां,तो नियम क्या है? अगर नहीं, तो इस मामले में विशेष अनुमति किसने दी? और अगर कोई अनुमति नहीं थी तो खरीदी किस स्तर पर स्वीकृत हुई? यही वह सवाल है जिसका जवाब शिवप्रसादनगर समिति से लेकर जिला स्तर तक मांगा जाना चाहिए।

सामूहिक जमीन, अलग-अलग हिस्से और एक खाते में पूरा धान,शिवप्रसादनगर समिति में उठे गंभीर सवाल

साधना के खाते में 136 क्विंटल धान,जमीन में हदीश-रिजवान भी हिस्सेदार,सहकारिता के गणित पर सवाल

हदीश, साधना और रिजवान की साझी जमीन, लेकिन धान बिक्री सिर्फ साधना के नाम, कहां गया बाकी दो हिस्सों का हिसाब?

45.20 क्विंटल की तीन-तीन पात्रता, फिर एक ही नाम पर 136 क्विंटल बिक्री शिवप्रसादनगर में धान का नया गणित

धान तीन हिस्सों का, पैसा एक खाते में! हदीश-साधना-रिजवान की जमीन ने खोले सहकारिता के नए सवाल

जमीन तीन की तो धान भी तीन का होना था साहब! फिर 136 क्विंटल एक खाते में कैसे पहुंच गया?

3.13 हेक्टेयर भूमि में हदीश,साधना और रिजवान का बराबर हिस्सा,प्रत्येक की 45.20 क्विंटल पात्रता, रिकॉर्ड में पूरी 136 क्विंटल बिक्री साधना के नाम होने के दावे ने खड़े किए सवाल

हदीस अंसारी, साधना कुशवाहा और रिजवान के नाम 3.13 हेक्टेयर भूमि–तीनों की बराबर हिस्सेदारी

45.20-45.20 क्विंटल पात्रता, लेकिन बिक्री एक नाम से होने का सवाल, समिति प्रभारी मोहम्मद सोहराब और खरीदी प्रभारियों की जमीन साझेदारी ने बढ़ाई बेचैनी

सवाल बहुत हैं...अब जांच कौन करेगा?

इस पूरे मामले में किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करना अभी उचित नहीं होगा,लेकिन उपलब्ध आंकड़े और उठ रहे सवाल इतने गंभीर हैं कि उन्हें केवल आरोप कहकर किनारे करना भी उचित नहीं होगा, जांच में कम से कम इन दस्तावेजों का मिलान होना चाहिए की 3.13 हेक्टेयर भूमि की मूल रजिस्ट्री,नामांतरण रिकॉर्ड,तीनों सह-खातेदारों के हिस्से का विवरण,किसान पंजीयन,फसल पंजीयन,डीसीएस सत्यापन,136 क्विंटल धान की खरीदी रसीद,भुगतान रिकॉर्ड, समिति का स्टॉक रजिस्टर और संबंधित बैंक खातों की लेनदेन जानकारी, इसके साथ यदि आयकर विभाग की ओर से हदीस अंसारी के बैंक खातों पर कोई रोक या रिकवरी आदेश जारी हुआ था, तो उस आदेश को भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए।

अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि धान किसने बेचा–सवाल यह है कि पैसा किसके पास गया और किस नियम से गया?

शिवप्रसादनगर का यह मामला अब एक साधारण जमीन खरीद या धान बिक्री का मामला नहीं रह गया है, इसमें भूमि स्वामित्व, फसल पात्रता, धान बिक्री, समिति की जिम्मेदारी, खरीदी प्रभारियों की भूमिका और वित्तीय लेनदेन की सभी कड़ियां जांच की मांग कर रही हैं,अगर तीनों की जमीन है तो तीनों की फसल का हिसाब होना चाहिए, अगर तीनों की फसल है तो तीनों के नाम बिक्री या वैध अधिकरण होना चाहिए, अगर एक व्यक्ति के नाम बिक्री हुई है तो उसके पीछे लिखित अधिकार होना चाहिए, और यदि भुगतान एक व्यक्ति को मिला है तो बाकी दो के हिस्से का हिसाब भी होना चाहिए,वरना सवाल यही रहेगा की जमीन सामूहिक, पात्रता अलग-अलग और पैसा एक खाते में आखिर किस नियम का गणित है? और यही वह सवाल है जिसका जवाब अब शिवप्रसादनगर समिति, सहकारिता विभाग और संबंधित जांच एजेंसियों को दस्तावेजों के साथ देना चाहिए।

रायपुर में सरगुजा संभाग की छात्राओं ने दी देशभक्ति की शानदार प्रस्तुति....राज्य स्तरीय समारोह में सरगुजा की छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त कर बढ़ाया गौरव

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में सरगुजा की छात्राओं ने संभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर प्रथम स्थान प्राप्त कर गौरव बढ़ाया। शासकीय कन्या शिक्षा परिसर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बिकापुर एवं शासकीय कन्या क्रीड़ा परिसर अम्बिकापुर की 286 छात्राओं ने सरगुजा संभाग का प्रतिनिधित्व किया। छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति में भारत की गौरवशाली स्वतंत्रता यात्रा, राष्ट्रप्रेम, एकता, विविधता और देश के प्रति समर्पण की भावना को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने की गौरवपूर्ण भावना को भी प्रस्तुति में शामिल किया गया। प्रस्तुति में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के बलिदान से लेकर आधुनिक भारत की उपलब्धियों और युवा शक्ति के उत्साह को सजीव रूप दिया गया। छात्राओं की देशभक्ति,अनुशासन, ऊर्जा और उत्कृष्ट प्रस्तुति की दर्शकों ने करतल ध्वनि से सराहना की। समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। विभिन्न सुरक्षा बलों एवं पुलिस की टुकड़ियों ने आकर्षक मार्चपास्ट तथा स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। इस उपलब्धि के लिए जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा डॉ. दिनेश कुमार झा के मार्गदर्शन में छात्राओं ने कठिन अभ्यास और अनुशासन के साथ तैयारी की। प्रस्तुति की कोरियोग्राफी श्रीमती अनुराधा श्रीवास्तव एवं श्री तुषार सरकार ने की। सरगुजा की 286 छात्राओं की इस उपलब्धि से विद्यालय, जिले और पूरे संभाग का गौरव बढ़ा है। शिक्षा विभाग ने छात्राओं, शिक्षकों एवं मार्गदर्शकों को इस सफलता के लिए बधाई दी है।

इमरान हाशमी सनी देओल के बाद आयुष्मान से लेंगे टक्कर,गनमास्टर जी 9 की रिलीज डेट आउट

इमरान हाशमी अपनी अपकमिंग फिल्म गनमास्टर जी9 के साथ बड़े पर्दे पर छाने के लिए तैयार हैं। फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है।

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आवारापन 2 से लोगों का दिल जीतने के बाद, इमरान हाशमी एक और फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर आने को तैयार हैं। उनकी आने वाली फिल्म का नाम गनमास्टर जी9 है, जिसमें जेनेलिया डिसूजा और अपारशक्ति खुराना भी हैं। एक्शन, रोमांस और म्यूजिक के मजेदार तड़के वाली इस फिल्म की थिएटर में रिलीज होने की तारीख तय हो गई है।

गनमास्टर जी9 की रिलीज डेट

इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा की गनमास्टर जी9 दुनिया भर के सिनेमाघरों में 27 नवंबर, 2026 को रिलीज होगी। आदित्य दत्त के निर्देशन में बनी इस एक्शन-रोमांस फिल्म को दीपक मुकुट, हुनर मुकुट और संगीता अहीर ने प्रोड्यूस किया है और इसे सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने पेश किया है। इमरान ने एक इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए रिलीज की डेट का ऐलान किया। इस घोषणा में कहा गया, गनमास्टर जी9 तैयार है और 27 नवंबर को बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह फिल्म इमरान, हिमेश रेशमिया और आदित्य दत्त को लगभग दो दशक बाद फिर से एक साथ लाती है।

आयुष्मान की फिल्म से होगी टक्कर

27 नवंबर को रिलीज होने वाली फ़िल्में गनमास्टर जी9 और आयुष्मान खुराना व शरवरी की ये प्रेम मोल लिया के बीच बॉक्स ऑफिस पर टक्कर होगी। यह प्रेम मोल लिया को सूरज बड़जात्या ने डायरेक्ट किया है और कहा जा रहा है कि यह एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है।

गनमास्टर जी9 के बारे में

गनमास्टर जी9 में इमरान मुख्य भूमिका में हैं, और जेनेलिया डिसूजा व अपारशक्ति खुराना अहम किरदारों में हैं। फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है और ढ्ढस्र्डढ्ढ के अनुसार, इसकी कहानी सारिम मोमिन और जुनैद वासी ने लिखी है। संगीत हिमेश रेशमिया ने तैयार किया है। इस वक्त इमरान आवारापन 2 में नजर आ रहे हैं जिसमें उनके साथ दिशा पटानी अहम किरदार निभा रही हैं।

नयनतारा का बोल्ड लुक सोशल मीडिया पर वायरल

साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री नयनतारा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ तस्वीरों को लेकर चर्चा में हैं। इन तस्वीरों में अभिनेत्री मंदिर के बाहर बिना बालों वाले लुक यानी बाल्ड अवतार में नजर आ रही हैं। तस्वीरें सामने आते ही फैंस के बीच हलचल मच गई और कई लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि शायद नयनतारा ने अपनी अगली फिल्म 'टॉक्सिक' के लिए अपना लुक बदल लिया है। हालांकि, कुछ समय बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इन तस्वीरों की जांच की और दावा किया कि ये असली तस्वीरें नहीं बल्कि एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनाई गई तस्वीरें हैं। इसके बाद नयनतारा के बाल्ड लुक को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लग गया। वायरल तस्वीरों में नयनतारा मंदिर के बाहर खड़ी दिखाई दे रही हैं। उनके सिर पर बाल नहीं हैं और उनका लुक काफी अलग नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर कई फैंस हैरान रह गए। नयनतारा के फैंस के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या अभिनेत्री ने किसी खास किरदार के लिए ऐसा बदलाव किया है। खासतौर पर उनकी आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर लोगों ने इसे जोड़ना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इन तस्वीरों की वास्तविकता पर सवाल उठाए। कुछ लोगों ने गौर किया कि तस्वीरों में कुछ ऐसे संकेत हैं, जिनसे पता चलता है कि ये एआईद्वारा तैयार की गई हैं। एक यूजर ने एक्स(ट्विटर) पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा,हाहा,अच्छी कोशिश है, लेकिन अगली बार प्लीज एआई वॉटरमार्क हटा देना। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा,सच में? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा किया होगा।

पाताल लोक के मेकर्स का नया क्राइम-थ्रिलर भौकाल

पाताल लोक के मेकर्स की नई क्राइम-थ्रिलर फिल्म बबीता सिंह रिपोर्टिंग का एलान कर दिया है,ओटीटी पर ये फिल्म 28 अगस्त को रिलीज होगी। ओटीटी पर इन दिनों नई वेबसीरीज और फिल्मों की बाढ़ सी आ रही है। हर हफ्ते कुछ ना कुछ ओटीटी पर रिलीज होता ही रहता है। अब लीजिए जल्द ही प्राईम वीडियो पर एक नई फिल्म आने वाली है और बड़ी बात ये है कि इस फिल्म को पाताल लोक के मेकर्स ने बनाया है, जिसका हाल ही में एलान कर दिया गया है।

ओटीटी पर दहाड़ेगी नई फिल्म

जी हां, हाल ही में प्राइम ओरिजिनल की फिल्म बबीता सिंह रिपोर्टिंग का शानदार तरीके से एलान किया गया है। ओटीटी पर आने वाली इस फिल्म की चर्चा काफी वक्त से हो रही थी। अब हाल ही में फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर को रिलीज कर दिया गया है। इसके अलावा फिल्म की रिलीज डेट का भी एलान हुआ है। फिल्म एक थ्रिलर इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा होगी, जिसे अंबिएका पंडित ने डायरेक्ट किया और इसे अमिता व्यास ने लिखा है। फिल्म को स्क्वाड प्रोडक्शंस ने एक्ट थ्री के साथ मिलकर सौरभ मल्होत्रा, मनुज मित्तरा और टीना थरवानी ने मिलकर बनाया है। इस फिल्म में आपको निमिषा सयाजन , बरुण सोबती और अंशुमान पुष्कर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। हाल ही फर्स्ट लुक जो सामने आया है, उसमें भी फिल्म की लीड कास्ट नजर आई है।

क्या होगी फिल्म की कहानी?

फिल्म बबीता सिंह रिपोर्टिंग की कहानी निलंबित पुलिस अधिकारी बबीता की है, जिन्हें प्यार से बेबी कहा जाता है। फिल्म में बबीता का किरदार निमिषा सयाजन ने निभाया है। वह एक ऐसी ऑफिसर हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा दूसरों को खुश रखने और उनकी जरूरतों को खुद से पहले पूरा करने में बिताया है।इसके बाद बेबी के बचपन के एक दोस्त की हत्या हो जाती है, जिससे वह पूरी तरह टूट जाती हैं। इसके बाद वो इसकी सच्चाई का पता लगाने निकल पड़ती हैं और इस सफर में वो कई मुश्किलों का सामना करती है।बबीता सिंह रिपोर्टिंग का प्रीमियर प्राईम वीडियो पर 28 अगस्त को होगा। फिल्म भारत समेत दुनिया के 240 से अधिक देशों में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज की जाएगी। अब पाताल लोक मेकर्स की ये नई फिल्म क्या कमाल दिखाती है, ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा।

बिग बॉस कंटेस्टेंट की एक गलती ने शाहरुख खान को बनाया सुपरस्टार

शाहरुख खान की पहली फिल्म दीवाना पहले किसी और को ऑफर हुई थी, जिन्होंने इसे ठुकरा दिया था। इस फैसले ने शाह रुख को सुपरस्टार बना दिया और वो हीरो फ्लॉप हो गया। बॉलीवुड अभिनेता शाह रुख खान का स्टारडम आज सातवें शिखर पर है। शाह रुख भले ही कम फिल्में करते हों लेकिन उनकी स्टार वैल्यू दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहां तक कि इस साल भी शाह रुख सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के साथ-साथ सबसे अधिक कमाई करने वाले स्टार्स की लिस्ट में शुमार हुए।

हालांकि भले ही इस साल उनकी कमाई में थोड़ी गिरावट ही क्यों ना आई हो, लेकिन क्या आपको पता है कि शाह रुख अपनी जिस पहली फिल्म से स्टार बने, असल में वो फिल्म उनकी किस्मत में नहीं बल्कि किसी और के हिस्से में आने वाली थी।

किसी दूसरे एक्टर को ऑफर हुई दीवाना

दरअसल शाह रुख की जिस फिल्म का हम जिक्र कर रहे हैं उस फिल्म का नाम है दीवाना। जी हां, साल 1992 में आई फिल्म दीवाना शाह रुख की पहली और डेब्यू फिल्म थी।

इस फिल्म में शाह रुख अकेले नहीं थे। फिल्म में शाह रुख के साथ उस दौर के सुपरस्टार ऋषि कपूर और नई नवेली दिव्या भारती नजर आई थीं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और शाह रुख का डेब्यू भी हिट रहा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए पहली पसंद शाह रुख खान नहीं थे।

दरअसल फिल्म के लिए पहली पसंद बिग बॉस 7 में नजर आए एक्टर अरमान कोहली थे। अरमान कोहली के पिता और फिल्ममेकर राज कुमार कोहली चाहते थे कि उनके बेटे की फिल्म विरोधी पहले रिलीज हो जाए और यही वजह है कि अरमान के हाथ से दीवाना फिल्म निकल गई और बाद में यही फिल्म शाह रुख खान को ऑफर हुई और उनकी ये डेब्यू फिल्म बनी।

पहली फिल्म से हिट हो गए थे शाह रुख

फिल्म दीवाना जब अरमान कोहली ने रिजेक्ट कर दी तो इस फिल्म से शाह रुख का करियर चमक गया। भले ही फिल्म दीवाना में शाह रुख खान सेकेंड लीड में रहे हों, लेकिन उन्होंने ऋषि कपूर से ज्यादा चर्चा बटोरी। हर कोई शाह रुख की स्क्रीन प्रेजेंस से मंत्रमुग्ध हुआ और सभी को शाह रुख का काम पसंद आया।

इस फिल्म के बाद शाह रुख ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो बैक टू बैक फिल्मों में काम करते चले गए। वहीं अरमान कोहली का फिल्मी सफर ज्यादा कुछ खास नहीं रहा। अरमान कोहली ने पिता राजकुमार कोहली की कई फिल्मों में काम किया। हालांकि अरमान की एक भी सोलो हिट फिल्म नहीं रही। हां, उनकी मल्टीस्टारर कुछ फिल्में पर्दे पर जरूर चलीं। अरमान कोहली फिलहाल पर्दे से दूर हैं। उन्होंने बिग बॉस 7 में भाग लिया था।

खेल समाचार

आयुष शेट्टी ने किया बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का सबसे बड़ा उलटफेर

दुनिया के नंबर 1 चीनी खिलाड़ी को यूं दिखाया बाहर का रास्ता

नई दिल्ली,17 अगस्त 2026। इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेले जा रहे बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भारत के उभरते हुए युवा शटलर आयुष शेट्टी ने अपने करियर की सबसे यादगार जीत दर्ज करते हुए दुनिया के नंबर 1 और मौजूदा विश्व चैंपियन शी युकी को परास्त कर दिया। राउंड ऑफ 64 के इस सांसेटोंस मुकाबले में आयुष ने चीनी दिग्गज को तीन गेमों के कड़े संघर्ष में 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया।

21-14 से जीता पहला सेट

घरेलू दर्शकों के शोर और उत्साह के बीच मैदान पर उतरे आयुष ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने वर्ल्ड नंबर-1 खिलाड़ी के दबदबे से डरे बिना नेट गेम पर अपना दबदबा बनाया और सटीक स्मैश से लगातार अंक बटोरे। पहले गेम में चीनी खिलाड़ी को कोई मौका न देते हुए भारतीय शटलर ने 21-14 से बाजी मारकर मुकाबले में धमाकेदार बढ़त हासिल कर ली।

शी युकी ने दूसरे सेट में वापसी की

पिछली बार एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में शी युकी ने महज 40 मिनट में आयुष को आसानी से मात दी थी। हालांकि,इस मैच का दूसरा गेम एक बार फिर चीनी स्टार के पक्ष में जाता दिखा। वापसी करते हुए शी युकी ने अपनी लय पाई और 15-11 की बढ़त बनाने के बाद 21-13 से यह गेम अपने नाम कर मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया।

आयुष ने तीसरे सेट में बनाई बढ़त

तीसरा और निर्णायक गेम बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। आयुष ने दमदार शुरुआत करते हुए ब्रेक तक 11-5 की मजबूत बढ़त बना ली थी। लेकिन अनुभवी शी युकी ने आसानी से हार नहीं मानी और अपनी रणनीति बदलते हुए अंकों के अंतर को कम करना शुरू कर दिया जिससे स्टेडियम में मौजूद हर फैन की सांसें थम गईं।

21-19 से जीता आखिरी सेट

अंतिम पलों में जब मुकाबला बेहद नाजुक मोड़ पर था तब आयुष ने धैर्य और मानसिक मजबूती का शानदार परिचय दिया। स्टेडियम में मौजूद फैंस के भारी समर्थन के बीच उन्होंने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी और निर्णायक गेम को 21-19 से जीतकर इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन जगत में अपनी नई पहचान दर्ज कराई है।

डूरंड कप 2026 में ईस्ट बंगाल का धमाका शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में एंट्री

कोलकाता,17 अगस्त 2026। डूरंड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ईस्ट बंगाल एफसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडियन आर्मी फुटबॉल टीम को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। मुकाबले का एकमात्र गोल पीव्ही विष्णु ने शानदार हेडर के जरिए किया,जो टीम की जीत का निर्णायक पल साबित हुआ। साल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। टीम ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और लगातार इंडियन आर्मी के डिफेंस पर दबाव बनाया। पहले हाफ में मिली बढ़त को ईस्ट बंगाल ने पूरे मैच के दौरान बरकरार रखा। मैच का निर्णायक गोल 38वें मिनट में आया। क्रिस्टोफर इकोनोमिडिस के शानदार क्रॉस पर पीव्ही विष्णु ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ हेडर लगाया और गेंद को नेट में पहुंचा दिया। इस गोल ने ईस्ट बंगाल को बढ़त दिलाई।

गेम चेंजर्स लायंस ने जीता पहला वर्ल्ड पैडल लीग खिताब

मुंबई,17 अगस्त 2026। गेम चेंजर्स लायंस ने ऑसी मेवरिक्स जगुआर को फ़ाइनल में 19-10 से हराकर वर्ल्ड पैडल लीग का चौथा सीज़न जीता और अपना पहला वर्ल्ड पैडल लीग टाइटल अपने नाम किया। दिन की शुरुआत में लायंस ने वेदांता लेपर्ड्स को 16-13 से हराया, जबकि जगुआर ने सेमी-फ़ाइनल में डब्ल्यू बी रियल्टी चीताज़ को 15-11 से हराया।फ़ाइनल के पहले सेट में लायंस की बीट्रिज़ गोंजालेज और पाउला जोसेमारिया का मुक़ाबला जगुआर की एलेजांद्रा अलोंसो और क्लाउडिया जेन्सेन से हुआ। लायंस ने मज़बूत शुरुआत की और कड़े मुक़ाबले के बाद पहला सेट 6-3 से जीता।

इसके बाद दूसरे सेट में फेडेरिको मौरिनो और थियोडोरो ज़पाटा का मुक़ाबला इग्नासियो पियोटो और एन्ज़ो जेन्सेन से हुआ। लायंस की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6-2 से जीत हासिल की और अपनी टीम को मज़बूत स्थिति में पहुँचाया। जगुआर ने निर्णायक सेट में वापसी की, जिसमें पोल हर्नांडेज़ और गुइले कोलाडो ने गोंजालो अल्फोंसो और सान्यो गुटिएरेज़ के ख़िलाफ़ मुक़ाबले को कांटे का बनाए रखा। दोनों जोड़ियों के बीच कुछ कड़े मुक़ाबले हुए,लेकिन लायंस ने आख़िरी पलों में संयम बनाए रखा और 7-5 से सेट जीतकर टाइटल अपने नाम किया।

दिन की शुरुआत में, पहले सेमी-फ़ाइनल में लायंस की पाउला जोसेमारिया और बीट्रिज़ गोंजालेज ने लेपर्ड्स की मार्टा ओर्टेगा और वेरोनिका विरसेडा के ख़िलाफ़ पहला सेट 6-4 से जीता। लेपर्ड्स ने वापसी की और दूसरे सेट में फ्रांसिस्को गुएरेरो और जावी रुइज़ ने फेडेरिको मौरिनो और थियोडोरो ज़पाटा को 6-4 से हराया। इसके बाद निर्णायक सेट में सान्यो गुटिएरेज़ और गोंजालो अल्फोंसो का मुक़ाबला मिगुएल ड्यूस और नूनो ड्यूस से हुआ। लायंस की जोड़ी ने सेट 6-3 से जीता। दूसरे सेमी-फ़ाइनल में क्लाउडिया जेन्सेन और एलेजांद्रा अलोंसो ने अरंज़ाज़ु ओसोरियो और कार्ला मेसा पर 6-3 से जीत के साथ जगुआर को बढ़त दिलाई। जॉन सान्ज़ और जीसस मोया ने इग्नासियो पियोटो और एन्ज़ो जेन्सेन पर 6-3 से जीत के साथ चीताज़ के लिए मैच बराबर कर दिया। इसके बाद निर्णायक सेट में पोल हर्नांडेज़ और गुइले कोलाडो का मुक़ाबला कोकी नीटो और लुचो कैपरा से हुआ। जगुआर ने सेट 6-2 से जीतकर फ़ाइनल में जगह बनाई। वर्ल्ड पैडल लीग का चौथा सीज़न एक रोमांचक टूर्नामेंट साबित हुआ, जिसमें बेहतरीन पैडल खेल, कड़े मुकाबले और गेम चेंजर्स लायंस के लिए यादगार चैंपियनशिप जीत देखने को मिली।

न्यायालय नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/ आवेदिका प्रमोद कुमार सिन्हा आ0/पति बालमुकुन्द प्रसाद सिन्हा जाति, निवासी भट्ठी रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-केदारपुर, शीट नम्बर-4 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1951 /82 रकबा 2341 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-25.08.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांकः- 10.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पंदमुद्रा से जारी ।

(सील) नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

रा0प्र0क्र0-/अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक संदीप कुमार सिन्हा आ0स्व0 गणेश प्रसाद सिन्हा जाति कायस्थ निवासी अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 66/20 रकबा 0.010 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखो में पंजीबद्ध हक त्याग पत्र दिनांक 29.05.2026 के माध्यम से अनावेदक का नाम विलोपित किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 24.08.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांकः- 10/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील) तहसीलदार अम्बिकापुर,सरगुजा

नाम सुधार सूचना

मैं प्रेमलता राजवाड़े पति भाग्यरथ राजवाडे,आयु लगभग 34 निवासी ग्राम चठिरमा,तहसील अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा,छ0ग0 मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूं। यह कि,मेरे पुत्री के आधार कार्ड क्रमांक- 5780 42774581 में मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश बैष्णवी राजवाड़े (Baishdavi Rajwade) अंकित हो गया है, जिसे सुधार कर मेरे पुत्री का सही नाम वैष्णवी राजवाड़े (VAISHNAVI RAJWADE) अंकित किया जाये,दोनों नाम मेरी पुत्री 5 का ही है। जिस हेतु मैं स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर रही हूं ।

शपथग्रहिता
प्रेमलता राजवाड़े

भाग-1

मई में 30 नमूना सहायकों की भर्ती, अगस्त में 13 बने खाद्य सुरक्षा अधिकारी !

मई 2026
30
नमूना सहायकों के पदों पर भर्ती

11 अगस्त 2026
13
नमूना सहायकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की पदोन्नति

पदोन्नति आदेश ने खोले सवालों के नए दरवाजे

- डीपीसी की अनुशंसा पर 13 नमूना सहायकों को पदोन्नति
- सूची में डॉ. अर्चना तिवारी का नाम 7वें क्रम पर
- नितेश कुमार मिश्रा सहित कई नाम चर्चा में
- प्रयोगशाला प्रभारी को लेकर उठे सवाल
- तत्कालीन नियंत्रक शर्मा और उड़न दस्ते का मामला
- स्थापना शाखा प्रभारी दीपक अग्रवाल की भूमिका पर भी सवाल
- जब 30 की भर्ती निकली तो 13 को पदोन्नति क्यों ?
- युवाओं में असंतोष, पारदर्शिता की मांग तेज

आगे पढ़िए भाग-2 में... कद्रीय कानून क्या कहता है ? पदोन्नति के नियम क्या हैं ? डीपीसी की भूमिका क्या है ? सीधी भर्ती के अवसर क्यों सीमित हैं ? हाईकोर्ट प्रकरण और सरकार के सामने बड़े सवाल...

पहले नमूना सहायक बनिए, फिर खाद्य सुरक्षा अधिकारी

नौकरी का 'शॉर्टकट' या नियम का रास्ता ?

13 नमूना सहायकों को बनाया खाद्य सुरक्षा अधिकारी 30 पदों पर नई भर्ती ने खड़े किए बड़े सवाल

मई में नमूना सहायकों की भर्ती, अगस्त में 13 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की पदोन्नति-आखिर विभाग की दिशा क्या

नमूना सहायक से खाद्य सुरक्षा अधिकारी तक 'पदोन्नति एक्सप्रेस', विभाग की नीति पर उठे सवाल

13 पदोन्नतियां बनीं चर्चा का विषय, अर्चना तिवारी का नाम भी सूची में, डीपीसी के फैसले पर सवाल

खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर 13 नमूना सहायकों की पदोन्नति, सीधी भर्ती के भविष्य पर मंडराया सवाल

30 नए नमूना सहायक भर्ती होंगे, फिर 13 पुराने सहायकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी क्यों बनाया गया?

खाद्य सुरक्षा विभाग में पदोन्नति का बड़ा खेल? 13 नमूना सहायकों को मिली अधिकारी की कुर्सी

नमूना सहायक बने खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अर्चना तिवारी का नाम भी शामिल; अब नियमों की बारी

डीपीसी की अनुशंसा पर 13 पदोन्नतियां,लेकिन नियम और पात्रता अब भी सवालों के घेरे में...

भर्ती अलग,पदोन्नति अलग—खाद्य सुरक्षा विभाग में आखिर चल क्या रहा है?

-न्यूज डेस्क-

रायपुर,17 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में पदोन्नति को लेकर उठ रहे सवाल अब एक नए आदेश के बाद और गंभीर हो गए हैं, कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा 11 अगस्त 2026 को जारी आदेश में विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर 13 नमूना सहायकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। आदेश में स्पष्ट रूप से नमूना सहायक पद से खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति और नई पदस्थापना का उल्लेख है,यही आदेश अब उस बहस को जन्म दे रहा है, जिस पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं की क्या खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसे तकनीकी और वैधानिक पदों को मुख्य रूप से सीधी भर्ती के बजाय विभागीय पदोन्नति से भरने की दिशा में विभाग आगे बढ़ रहा है? मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष मई में जारी विभागीय विज्ञापन में 30 नमूना सहायकों की सीधी भर्ती के लिए पद निकाले गए हैं,उस विज्ञापन में नमूना सहायक पद के लिए विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक बताया गया है,यानी एक ओर विभाग नए नमूना सहायकों की भर्ती कर रहा है और दूसरी ओर पुराने नमूना सहायकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर रहा है,अब सवाल यह है कि विभाग की दीर्घकालिक मानव संसाधन नीति आखिर है क्या?

13 नमूना सहायक बने खाद्य सुरक्षा अधिकारी

11 अगस्त 2026 के आदेश में कुल 13 कर्मचारियों को नमूना सहायक पद से खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नत किए जाने का उल्लेख है, आदेश के अनुसार इन कर्मचारियों को पदोन्नति के बाद अलग-अलग जिलों में पदस्थ किया गया है,पदोन्नति के साथ वेतनमान में भी परिवर्तन दर्शाया गया है,सूची में सरगुजा से लेकर कोरिया, रायगढ़,सारंगढ़-बिलाईगढ़,मुंगेली,बालोद,कोंडागांव, सूरजपुर, दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, जांजगीर-चांपा, सक्ती, गरियाबंद और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जैसे जिलों में पदस्थापना का उल्लेख है, सूची में सातवें क्रम पर डॉ. अर्चना तिवारी का नाम भी शामिल है,आदेश में उनकी वर्तमान स्थिति कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, अटल नगर, नवा रायपुर बताई गई है और यह भी दर्ज है कि वे राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला,कालीबाड़ी रायपुर में संलग्नीकरण के तहत कार्यरत थीं। पदोन्नति के बाद उन्हें गरियाबंद पदस्थ किया गया है,यही नाम पूर्व में उठाए गए सवालों के कारण अब चर्चा के केंद्र में है।

डीपीसी की भूमिका भी जांच के दायरे में...

11 अगस्त के आदेश में साफ लिखा है कि पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है,यही वह बिंदु है जहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, डीपीसी ने किन नियमों,भर्ती नियमों, सेवा शर्तों और तकनीकी पात्रताओं को आधार बनाया? क्या डीपीसी के समक्ष खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद की तकनीकी प्रकृति और आवश्यक योग्यता से संबंधित सभी प्रावधानों का परीक्षण हुआ? क्या पदोन्नति के लिए निर्धारित प्रतिशत, वरिष्ठता, अनुभव और शैक्षणिक योग्यता की अलग-अलग जांच की गई? क्या प्रत्येक कर्मचारी की पात्रता का स्वतंत्र परीक्षण हुआ? इन सवालों के जवाब विभाग को सार्वजनिक करने चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पदोन्नति केवल प्रशासनिक प्रक्रिया थी या इसके पीछे विस्तृत वैधानिक परीक्षण भी हुआ।

आदेश में हाईकोर्ट के मामलों का भी उल्लेख

पदोन्नति आदेश में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के 14 जून 2024 के निर्देशों तथा उच्च न्यायालय बिलासपुर में WP(PIL) No. 91/2019 और WP(S) No. 9778/2019 में 16 अप्रैल 2024 को पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहने की बात भी लिखी गई है, साथ ही आदेश में कहा गया है कि पदोन्नत कर्मचारियों की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी, यह उल्लेख अपने आप में बताता है कि पदोन्नति आदेश पूरी तरह निर्विवाद प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है और न्यायिक निर्णयों तथा शासन के निर्देशों के संदर्भ में भी इसे देखा जाना है,इसलिए विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जिन न्यायिक आदेशों और शासन निर्देशों का उल्लेख किया गया है, उनका पदोन्नति प्रक्रिया पर वास्तविक प्रभाव क्या है।

मई में 30 नमूना सहायकों की भर्ती अगस्त में 13 की पदोन्नति

विभागीय दस्तावेजों में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है,नमूना सहायक के 30 पदों पर सीधी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में कुल 30 रिक्तियों का उल्लेख है,इसके अतिरिक्त औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में लैब असिस्टेंट के एक तथा खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में लैब असिस्टेंट के एक पद सहित अन्य पदों का भी उल्लेख विज्ञापन में है,नमूना सहायक के लिए 30 पद दर्शाए गए हैं,विज्ञापन में नमूना सहायक के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में मान्यता प्राप्त मंडल से विज्ञान संकाय में हायर सेकेंडरी यानी 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना बताया गया है,यहां से सवाल उठता है कि यदि विभाग को नमूना सहायकों की आवश्यकता इतनी अधिक है कि 30 पदों पर सीधी भर्ती की जरूरत पड़ रही है,तो क्या उसी संवर्ग से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों को भरना विभाग की स्थायी रणनीति है या यह केवल पदोन्नति की मौजूदा व्यवस्था का हिस्सा है?

क्या सीधी भर्ती की भूमिका कमजोर होगी?

खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद विभाग के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी पद है, ऐसे में युवाओं के बीच यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठ सकता है कि यदि भविष्य में बड़ी संख्या में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद विभागीय पदोन्नति से ही भरे जाते रहे तो सीधी भर्ती के अवसरों का क्या होगा? दूसरी तरफ विभाग के पास यह तर्क हो सकता है कि पदोन्नति सेवा नियमों में उपलब्ध प्रावधानों के तहत की गई है और विभागीय कर्मचारियों को उनके अनुभव एवं पात्रता के आधार पर आगे बढ़ाने की प्रक्रिया सरकारी सेवा व्यवस्था का सामान्य हिस्सा है, इसलिए असली सवाल यह नहीं कि पदोन्नति हुई क्यों, बल्कि यह है कि पदोन्नति का वैधानिक आधार क्या है, पात्रता कैसे तय हुई, डीपीसी ने किन नियमों को आधार बनाया और क्या पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से अपनाई गई?

अर्चना तिवारी का नाम फिर चर्चा में...

इस पूरे मामले में डॉ. अर्चना तिवारी का नाम विशेष रूप से इसलिए चर्चा में है क्योंकि पूर्व में खाद्य प्रयोगशाला में उनके संलग्नीकरण को लेकर सवाल उठाए गए थे,अब 11 अगस्त के पदोन्नति आदेश में उनका नाम सातवें क्रम पर सामने आया है,आदेश में उनकी प्रयोगशाला में संलग्नीकरण की स्थिति भी दर्ज है और पदोन्नति के बाद गरियाबंद पदस्थापना दी गई है,इससे पहले इस विषय में जिन आशंकाओं और आरोपों को लेकर शिकायतें एवं खबरें सामने आई थीं, उनका अंतिम निष्कर्ष क्या है,यह अलग जांच का विषय है,लेकिन दस्तावेज यह जरूर दिखाता है कि जिनका नाम चर्चा में था,उनमें से डॉ. अर्चना तिवारी अब पदोन्नति सूची में शामिल हैं।

'नमूना सहायक' से तकनीकी पद तक पहुंचने की बहस

इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि नमूना सहायक संवर्ग से खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति का नियम आखिर किस तरह लागू किया गया,यहां दो पक्ष हैं,पहला पक्ष कहता है कि यदि सेवा नियमों में पदोन्नति का रास्ता उपलब्ध है और कर्मचारी निर्धारित योग्यता एवं अनुभव पूरा करते हैं, तो विभागीय पदोन्नति पर सवाल नहीं उठना चाहिए, दूसरा पक्ष यह सवाल उठा रहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी तकनीकी एवं वैधानिक जिम्मेदारियों वाला पद है, इसलिए इसकी पात्रता को केवल विभागीय सेवा अनुभव के आधार पर नहीं बल्कि संबंधित केंद्रीय कानून, नियमों और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में भी परखा जाना चाहिए, यही वह बिंदु है जहां स्वतंत्र जांच आवश्यक हो जाती है।

30 नए नमूना सहायक क्यों?

विभाग के मई 2026 के विज्ञापन का एक और पहलू है,विज्ञापन में नमूना सहायक के 30 पदों पर सीधी भर्ती प्रस्तावित की गई है, चयन के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान भी दिया गया है और अंतिम मेरिट के आधार पर चयन की प्रक्रिया बताई गई है,अर्थात नमूना सहायक बनने के लिए नए अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा से गुजरना होगा,यहीं से युवाओं का सवाल उठ सकता है—एक अभ्यर्थी नमूना सहायक बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षा देगा और दूसरा कर्मचारी उसी संवर्ग से विभागीय प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बन सकता है तो दोनों प्रक्रियाओं के बीच योग्यता और अवसर का संतुलन कैसे तय किया गया है? यह सवाल भावनात्मक नहीं बल्कि प्रशासनिक और नीतिगत है।

क्या विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की सीधी भर्ती भी होगी?

सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या भविष्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदों के लिए भी सीधी भर्ती निकाली जाएगी? यदि हां, तो कितने पदों पर? यदि नहीं, तो क्या विभाग की आवश्यकता पूरी तरह विभागीय पदोन्नति से पूरी की जाएगी? और यदि विभागीय पदोन्नति से ही बड़ी संख्या में पद भरे जाएंगे तो राज्य के उन युवाओं के लिए अवसर कहां होंगे जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए निर्धारित तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? इन प्रश्नों का जवाब विभाग को देना चाहिए।

'तानाशाही' का आरोप नहीं,पारदर्शिता की मांग जरूरी

सोशल मीडिया और सार्वजनिक चर्चा में अब विभाग के कामकाज को लेकर 'तानाशाही' जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन दस्तावेजों के आधार पर पत्रकारिता का सवाल इससे अलग है, क्या निर्णय नियम से हुआ? क्या डीपीसी ने नियमों का परीक्षण किया? क्या सभी पात्रता शर्तों को समान रूप से लागू किया गया? क्या पदोन्नति का पूरा आधार सार्वजनिक किया जा सकता है? क्या विभागीय पदोन्नति के समानांतर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती का प्रस्ताव है? यदि विभाग इन सवालों के स्पष्ट दस्तावेजी जवाब देता है तो विवाद स्वतः समाप्त हो सकता है।

सरकार और विभाग से सात सवाल इस पूरे मामले में राज्य सरकार और खाद्य एवं औषधि प्रशासन से अब सात प्रमुख सवाल हैं...

- पहला: 13 नमूना सहायकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाने के लिए कौन से सेवा नियम लागू किए गए?
- दूसरा: डीपीसी ने पात्रता निर्धारित करते समय किन केंद्रीय एवं राज्य नियमों का परीक्षण किया?
- तीसरा: क्या प्रत्येक पदोन्नत कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता और आवश्यक अनुभव की स्वतंत्र जांच हुई?
- चौथा: खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं?
- पांचवां: क्या इन रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने का कोई प्रस्ताव शासन को भेजा गया है?
- छठा: मई 2026 में 30 नमूना सहायकों की सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी करने के बावजूद अगस्त में 13 नमूना सहायकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नत करने के पीछे विभाग की मानव संसाधन नीति क्या है?
- सातवां: क्या पूरी पदोन्नति प्रक्रिया की नोटशीट और डीपीसी की अनुशंसा सार्वजनिक की जा सकती है?

अब सामने आया विभागीय पदोन्नति का पूरा विवाद

इस पदोन्नति आदेश को केवल 11 अगस्त की एक प्रशासनिक कार्रवाई मानकर छोड़ देना पूरे विवाद की तस्वीर को अधूरा कर देगा, इस मामले की पृष्ठभूमि में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद की पात्रता,विभागीय पदोन्नति की व्यवस्था,नमूना सहायक संवर्ग की भूमिका,विभाग में लंबे समय से रिक्त पद,सीधी भर्ती की स्थिति,डीपीसी की भूमिका और स्थापना शाखा में लिए गए निर्णयों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, उपलब्ध दस्तावेज और पूर्व में सामने रखे गए तथ्यों को साथ रखकर देखने पर यह मामला एक व्यापक प्रशासनिक जांच की मांग करता है, खबरों और शिकायतों में यह सवाल भी उठाया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसे तकनीकी पद पर पदोन्नति के लिए क्या केवल विभागीय सेवा अनुभव पर्याप्त माना गया या संबंधित केंद्रीय खाद्य सुरक्षा कानून एवं उसके अधीन जारी नियमों तथा राज्य के भर्ती नियमों का भी समान रूप से परीक्षण किया गया, आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट होना चाहिए कि 13 कर्मचारियों की पात्रता किस नियम, किस पदोन्नति कोटे और किस सेवा अवधि के आधार पर तय हुई।

भाग-1 के बाद भाग-2 में पढ़िए- 13 नमूना सहायकों की पदोन्नति का असली नियम क्या है?

डीपीसी ने किस आधार पर मुहर लगाई,केंद्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और राज्य के भर्ती नियमों में क्या अंतर है,अर्चना तिवारी का नाम सूची में कैसे आया,नितेश कुमार मिश्रा की भूमिका को लेकर क्या सवाल हैं, नियंत्रक शर्मा और दीपक अग्रवाल से जुड़े आरोपों का सच क्या है,तथा 30 नए नमूना सहायकों की भर्ती के बीच खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती क्यों नहीं—इन सभी सवालों की पड़ताल जारी।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)